सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

क्रियाकलापों संबंधी रिपोर्ट

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

क्रियाकलापों संबंधी रिपोर्ट

(दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक)

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली–110002
टेलिफोन : +91-11-23664147
फेक्स नं० : +91-11-23211046
ई–मेल : ap@trai.gov.in
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	आमुख	1
	कार्यकारी सारांश	4
I	सिफारिशें	
	• दूरसंचार क्षेत्र	11
	• प्रसारण क्षेत्र	17
II	विनियम	
	• दूरसंचार क्षेत्र	20
	• प्रसारण क्षेत्र	21
III	प्रशुल्क आदेश	
	• दूरसंचार क्षेत्र	24
IV	निदेश	
	• दूरसंचार क्षेत्र	25
	• प्रसारण क्षेत्र	32
V	परामर्श पत्र	
	• दूरसंचार क्षेत्र	36
	• प्रसारण क्षेत्र	39
VI	खुला मंच चर्चा (ओएचडी)	
	• दूरसंचार क्षेत्र	41
	• प्रसारण क्षेत्र	43
VII	उपभोक्ता हित	44
VIII	कारण बताओ नोटिस (प्रसारण क्षेत्र)	50
IX	अन्य मुद्दे (दूरसंचार क्षेत्र)	52
X	अन्य मुद्दे (प्रसारण क्षेत्र)	54
XI	अन्य क्रियाकलाप	57
XII	राजभाषा	63
XIII	अनुलग्नक	64
XIV	संक्षेपाक्षरों की सूची	66

आमुख

वर्ष 2020 में कोविड – 19 के प्रकोप के साथ, दुनिया भर में सरकारों और विनियामकों को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महामारी ने दुनिया भर में जीवन और आजीविका को प्रभावित किया। विश्वव्यापी लॉकडाउन लगाए गए, जिससे वाणिज्यिक व्यवसाय, विनिर्माण, सेवाओं आदि सहित सभी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया । भारत इस संकट का अपवाद नहीं था।

महामारी के दौरान, दूरसंचार क्षेत्र ने सभी को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और व्यवधान के बावजूद सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान की। दूरसंचार क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के विकास और उसकी तरक्की के लिए अत्यावश्यक और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। महामारी के दौरान, जोकि सभी के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी, उस समय दूरसंचार क्षेत्र द्वारा समय पर किए गए उपायों ने कई बाधाओं का मुकाबला करने में मदद की, ताकि अनेक आर्थिक गतिविधियां जारी रह सकें। इस क्षेत्र ने नागरिकों तक सटीक जानकारी के प्रसार में सरकार और व्यवसायों की सहायता करके लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में भी जबरदस्त भूमिका निभाई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अभिनव और उपयुक्त नीतिगत पहल की है।

शून्य संपर्क, सामाजिक दूरी और यात्रा प्रतिबंधों लगाए जाने के साथ, अधिकांश व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चली गईं। डिजिटल गतिविधियों में अचानक आई इस तेजी ने दूरसंचार और आईसीटी अवसंरचना पर जबरदस्त दबाव डाला था। फिर भी, भारत में दूरसंचार, आईसीटी और प्रसारण क्षेत्र, सरकार, विनियामकों, सेवा प्रदाताओं आदि जैसे सभी हितधारकों से काफी समर्थन और सहयोग के साथ इस अवसर पर खरे उतरे और लॉकडाउन के दौरान डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान की ।

देश में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के विनियामक के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समय से कुछ पर ऐसे उपाय किए जिसमें विभिन्न संचार माध्यमों जैसे फिक्स्ड और मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी को और सुगम बनाया जा सके। निर्बाध दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाली कई गतिविधियों और सेवाओं का सुचारू संचालन संभव बनाया गया था । बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन और 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी अधिकांश गतिविधियां दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्य कार्य देश में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए विकास की स्थिति को एक प्रकार से और इस गति से तैयार और पोषित करना है जिससे भारत वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने उपायों के माध्यम से यह सेवाओं की पसंद, किफायती प्रशुल्क और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता आदि के संदर्भ में उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया है। महामारी के बावजूद, इन उपायों ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास में काफी योगदान दिया ।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए पारदर्शी और गहन परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है। वर्ष 2020 में, परामर्श प्रक्रिया को ऑनलाइन पद्धति में स्थानांतरित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप विशेषरूप से खुला मंच चर्चाओं (ओएचडी) में हितधारकों की व्यापक भागीदारी हुई। वर्ष 2020 में वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से अनेक खुला मंच चर्चाओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। परामर्श प्रक्रिया के अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं के साथ अंतर्प्रतिक्रियात्मक बैठकें आयोजित करता आ रहा है ताकि वर्ष के दौरान परामर्श के लिए उठाए जाने वाले विषयों/शीर्षकों पर सुझाव दिए प्राप्त किए जा सकें ।

वर्ष 2020 के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में विकास और वृद्धि को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए थे। 'नेट न्यूट्रिलिटी के लिए ट्रेफिक मेनेजमेंट प्रेक्टिसिज', 'उपग्रह के माध्यम से सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी', 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी असेसमेंट', 'इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग सर्विसेज का विनियमन', 'विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न 'लेयरों की अनबंडलिंग' करने, 'दूरसंचार लाइसेंसों का अंतरण और विलय', 'इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स श्रेणी – 1 पंजीकरण', 'वायरलाइन सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत करने से पूर्व नेटवर्क टेस्टिंग' जैसे व्यापक विषयों पर अनेक परामर्श प्रक्रियाएं शुरू की गईं। इनके अलावा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'ओटीटी सेवाओं और क्लॉउड सेवाओं के विनियमन' सहित अनेक विषयों पर विनियम और सिफारिशें जारी की थीं। रिपोर्ट में परामर्श पत्रों, सिफारिशों और विनियमों की संपूर्ण सूची शामिल है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान प्रसारण क्षेत्र के समक्ष आने वाली विभिन्न विनियामक चुनौतियों का भी समाधान किया। विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों के बीच प्रसारण और केबल सेवाओं की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया गया और उनकी निगरानी की गई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रसारण सेवाओं के लिए एक नया विनियामक ढांचा भी लागू किया, जिसका उद्देश्य प्रसारण सेवा के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना था। इस पहल के लाभ आने वाले समय में दिखाई देंगे। प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए ''कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) के तकनीकी अनुपालन और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के लिए ढ़ांचे'' जैसे विभिन्न मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किए गए। वर्ष के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''सेट – टॉप बॉक्स की अंतर्प्रचालनीयता'', ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'', ''भारत में टेलीविजन ऑडियंस मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा'', ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नम्बरिंग संसाधन सुनिश्चित करने'' पर सरकार को सिफारिशें भेजी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्वेत पत्र भी जारी किए, जिनका ब्योरा इस रिपोर्ट में अंतर्निहित है।

महामारी द्वारा लाई गई चुनौतियां भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को वर्ष के दौरान उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करने के लिए उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों (सीओपी) और कार्यशालाओं के आयोजन से नहीं रोक सकीं। ऐसे कार्यक्रमों के डिजिटल स्वरूप बहुत प्रभावी, सफल थे और सभी हितधारकों की व्यापक भागीदारी को आकर्षित किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने आदेशों, निदेशों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है।

दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं द्वारा विनियामकारी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के लिए सूक्ष्म निगरानी की जानी चाहिए और वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाना और गंभीर अपराध के मामलों में अभियोजन संबंधी शिकायतों को दायर करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बेहतर अनुपालन और विनियामक प्रवर्तन हुआ है ।

यह रिपोर्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में आरंभ की गई गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करती है ताकि व्यापक दृष्टिकोण और बेहतर समझ प्रदान की जा सके। यह सभी हितधारकों की जानकारी के लिए जन साधारण के बीच भी उपलब्ध है। रिपोर्ट में वर्ष के दौरान जारी की गई सिफारिशों, विनियमों, परामर्श पत्रों, प्रशुल्क आदेशों और निदेशों आदि को शामिल किया गया है। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं और विस्तृत जानकारी के लिए संदर्भ लिया सकता है।

(सुनील कुमार गुप्ता)

सचिव

कार्यकारी सारांश

भादूविप्रा ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में सदा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस महामारी के दौरान प्राधिकरण द्वारा किए गए समयबद्ध उपायों ने मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी को सुनिष्चित करने में सहायता की है। भादूविप्रा द्वारा किए गए उपायों ने सेवाओं के विकल्प, वहनीय प्रशुल्कों और बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा आदि के संदर्भ में उपभोक्ताओं के लिए लाभ सुनिष्चित की है।

भादूविप्रा विभिन्न मुद्दों पर विनियम और सिफारिश कर अपने उद्देष्यों को पूरा करता है और उपभोक्ता जागरूकता में सक्रिय रूप से शामिल होता है।

भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक अत्यंत पारदर्शी और गहन परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करता है। वर्ष 2020 में परामर्श प्रक्रिया का स्वरूप बदलकर ऑनलाइन हो गया जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर खुला मंच चर्चा में हितधारकों की व्यापक भागीदारी हुई। उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए भी सीओपी और कार्यशालाओं को ऑनलाइन आयोजित किया गया। वर्ष 2020 में भादूविप्रा द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें जारी की गईः

क. सिफारिशें: दूरसंचार क्षेत्र

1. **''दूरसंचार लाइसेंस के अंतरण/विलय हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन'' के संबंध में दिनांक 21 फरवरी, 2020 की सिफारिशें** : इन सिफारिशों का उद्देश्य विलय और अधिग्रहण संबंधी दिषानिर्देश, 2014 में संशोधन कर अनुपालन आबंधों को सरल और सुकर बनाना है ताकि अनुमोदन सरल और त्वरित हो।

2. **''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी –एक (आईपी – एक) पंजीकरण के कार्यक्षेत्र में विस्तार'' के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 2020 की सिफारिशें**: भादूविप्रा ने दूरसंचार क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अवसंरचना प्रदाता–एक के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की। इन सिफारिशों का लक्ष्य टीएसपी और दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए सेवा लागत को कम करना है।

3. **''वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें** : भादूविप्रा ने इस सिफारिश के माध्यम से प्रवेशी लाइसेंस द्वारा वॉयरलाइन सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने के पूर्व नेटवर्क परीक्षण के लिए मानकों को निर्धारित किया है।

4. **''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं हेतु पर्याप्त नम्बर संबंधी संसाधनों को सुनिश्चित करने'' के संबंध में दिनांक 29 मई, 2020 संबंधी सिफारिशें** : प्राधिकरण का विचार यह था कि एकीकृत नम्बर योजना, जिसमें विद्यमान नेटवर्क में बड़े पैमाने पर बदलाव शामिल है, में जाने की इस स्तर पर सिफारिश नहीं की गई है। तथापि, वैकल्पिक पद्धतियों द्वारा नियत लाइनों/मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नम्बर संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. **''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान'' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2020 की सिफारिशें** : भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि सेवा प्रदाताओं को पहुंच प्रदान करने के लिए वीसेट का प्रयोग करते हुए सैटेलाइट के माध्यम से सेल्युलर मोबाइल हेतु बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें वाई–फाई हॉटस्पॉटों की स्थापना करने हेतु सेवा प्रदाताओं को पहुंच प्रदान करने के लिए वीसैट का उपयोग करते हुए बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भी अनुमति प्रदान की जाए। वीसैट हब के सक्रिय और अक्रिय अवसंरचना को साझा करने की भी सिफारिश की है।

6. **''स्पैक्ट्रम को साझा करने के मामले में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत पद्धति के तहत स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) को लागू करने के तौर– तरीकों'' के संबंध में दिनांक 17 अगस्त, 2020 की सिफारिशें** : भादूविप्रा ने अपनी सिफारिशों के तहत यह स्पष्ट किया था कि एसयूसी दर पर 0.5 प्रतिशत की वृद्धि किसी विशिष्ट बैंड में धारित स्पेक्ट्रम पर लागू होगा जिस बैंड में साझेदारी हो रही है, न कि लाइसेंसधारी द्वारा धारित समग्र स्पेक्ट्रम (सभी बैंडों पर) पर लागू होगा।

7. **''ओवर द टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं हेतु विनियामक रूपरेखा'' के संबंध में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की सिफारिशें** : भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि बाजार ताकतों को किसी विनियामक हस्तक्षेप को निर्धारित किए बिना स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी जाए।

8. **''क्लॉउड सेवाओं'' के संबंध में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की सिफारिशें** : भादूविप्रा ने किसी उद्योग नीत निकाय की स्थापना करने सहित एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से 'क्लाउड सेवाओं' हेतु एक अनुकूल विनियामक रूपरेखा की सिफारिश की।

9. **''नेट न्यूट्रलिटी हेतु ट्रैफिक प्रबंधन प्रथा (टीएमपी) और बहु हितधारक निकाय'' के संबंध में दिनांक 22 सितम्बर, 2020 की सिफारिशें** : भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) प्रयुक्त टीएमपी के प्रभाव के बारे में प्रभावित प्रयोक्ताओं को सूचित करने के लिए इंटरनेट पहुंच सेवा (आईएएस) हेतु एक नीति तैयार करे। उसने नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांतों की निगरानी और प्रवर्तन करने के संबंध में दूरसंचार विभाग को सलाह और सहायता प्रदान करने हेतु एक बहु हितधारी निकाय (एमएसबी) की स्थापित करने की भी सिफारिश की है।

10. **''कैप्टिव वीसैट सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों'' कें संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रति संदर्भ पर भादूविप्रा की दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की प्रतिक्रिया:** प्राधिकरण ने दिनांक 18 जुलाई, 2017 को दूरसंचार विभाग को ''कैप्टिव वीसैट नीति संबंधी मुद्दों'' पर अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। दूरसंचार विभाग ने कुछ सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए संदर्भित किया है। उचित विचार – विमर्श के पश्चात प्राधिकरण ने निम्नलिखित सिफारिशें की:

(i) कैप्टिव वीसैट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुरूआती वित्तीय बैंक गारंटी की राषि 15 लाख रुपये होनी चाहिए। बाद के वर्षों के लिए लाइसेंसधारी को दो तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क के समान राशि जमा करना चाहिए।

(i) रॉयल्टी प्रशुल्क केवल विनिर्दिष्ट फ्रिक्वेंसी (आवृत्तियों) तक ही सीमित होनी चाहिए।

(i) लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य संबंधित कार्यकलापों से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के लिए एक एकल खिड़की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

11. **''सार्वजनिक वाई – फाई नेटवर्कों के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार'' के संबंध में भादूविप्रा के दूरसंचार विभाग के प्रति संदर्भ पर भादूविप्रा की दिनांक 5 जून, 2020 की प्रतिक्रिया:** अपनी प्रतिक्रिया में भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया कि कई होटल, रेस्तरां, हवाई अड्डे और मॉल किसी विशिष्ट लाइसेंस पद्धति/पंजीकरण के बिना वाई–फाई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और भादूविप्रा के ध्यान में किसी धोखे अथवा सुरक्षा संबंधी मुद्दे का मामला नहीं आया है।

12. **''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निबंधन व शर्तों की समीक्षा'' के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रति संदर्भ के लिए भादूविप्रा की दिनांक 28 सितम्बर, 2020 की प्रतिक्रिया:** भादूविप्रा ने उचित विचार – विमर्ष के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को दूरसंचार विभाग को भेज दिया। भादूविप्रा की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने दिनांक 5 नवम्बर, 2020 को ओएसपी के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ख. सिफारिशें: प्रसारण क्षेत्र

1. **''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य'' के संबंध में दिनांक 11 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें :** यह सिफारिश की गई थी कि किसी भी शहर में एफएम रेडियो चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य (आरपी) उस षहर में एफएम रेडियो चैनलों के मूल्यांकन के 0.8 गुना के बराबर निर्धारित किया जाना चाहिए। आरपी के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार शहरों के लिए एफएम रेडियो चैनलों का मूल्यांकन 0.4 गुना की सिफारिश की गई थी। चरण–तीन में 'अन्य' श्रेणी में 10 सीमावर्ती शहरों में आरपी 5 लाख प्रति चैनल होना चाहिए।

2. **''सेट–टॉप बॉक्स की अंतरसंक्रियता' के संबंध में दिनांक 11 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें :** यह सिफारिश की गई थी कि किसी उपभोक्ता को दिया गया प्रत्येक सेटःटॉप बॉक्स अंतरसंक्रिय होना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) अनुमति/पंजीकरण/केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम में उपयुक्त खंड/शर्त शामिल कर सकता है ताकि सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म आपरेटर (डीपीओ {डीटीएच और एमएसओ}) को आदेश दिया जाए कि वे या तो डीपीओ द्वारा दिए गए अथवा खुले बाजार से उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए अंतरसंक्रिय सेट–टॉप बॉक्सों के माध्यम से अनिवार्य रूप से सेवा प्रदान करें। चूंकि सार्वभौमिक सैट–टॉप बॉक्स के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक बाध्यताएं हैं, इसलिए अंतरसक्रियता क्रमशः डीटीएच खंड और केबल खंड में लागू होगा। भादूविप्रा ने भारत में डिजिटल टीवी सेटों के लिए यूएसबी पोर्ट आधारित

सामान्य इंटरफेस का अनिवार्य प्रावधान करने की भी सिफारिष की। डीटीएच और केबल टीवी खंडों के लिए संषोधित सेट–टॉप बॉक्स मानकों के कार्यान्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भादूविप्रा, भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सदस्यों और टेलीविजन निर्माताओं के प्रतिनिधियों के सदस्यों को मिलाकर एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है।

3. **''भारत में टेलीविजन दर्शकों की संख्या और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा'' के संबंध में दिनांक 28 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें** : भादूविप्रा ने हितों के टकराव के संभावित जोखिम को कम करने, विश्वसनीयता को बढ़ाने, और पारदर्शिता लाने तथा टीआरपी अंकन प्रणाली में सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करने के लिए बीएआरसी में संरचनात्मक सुधार की सिफारिश की थी। यह भी सिफारिश की गई है कि रेटिंग प्रणाली में लगातार सुधार करते हुए अनुसंधान, डिजाइन और विश्लेषण के क्षेत्रों में बीएआरसी भारत को दिशानिर्देश देने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया जाए।

4. **भादूविप्रा की ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा दी गई प्लेटफार्म सेवाएं'' के संबंध में सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रति संदर्भ पर भादूविप्रा की दिनांक 26 मई, 2020 की प्रतिक्रिया** : भादूविप्रा ने डीटीएच दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्लेटफार्म सेवाओं के संबंध में कुछ मुद्दों को शामिल करने की सिफारिश की। अपनी प्रतिक्रिया में भादूविप्रा ने सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को दुहराया है।

ग. विनियमः दूरसंचार क्षेत्र

1. **दिनांक 16 जनवरी, 2020 का दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020** : इस संशोधन के साथ सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया जाता है कि वे किसी भी रूप में उपभोक्ता के अदावाकृत धन यथा अतिरिक्त प्रभार, जमानत राशि, असफल एक्टिवेशन के प्लान प्रभार अथवा किसी भी उपभोक्ता से संबंधित राशि को 12 महीने के दिए गए समय अथवा इस विधि के तहत विनिर्दिष्ट सीमा अवधि, जो भी बाद में हो, में जमा करे, जिसके लिए सेवा प्रदाता उपभोक्ता को राशि वापस करने में असमर्थ होते हैं।

2. **दिनांक 17 अप्रैल, 2020 का दूरसंचार अंतर्संयोजना उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020** : इन विनियमों के माध्यम से नियम अंतरराष्ट्रीय प्रसारण प्रभार (आईटीसी) व्यवस्था जो 0.30 पैसे प्रति मिनट था, को वहनीय व्यवस्था के लिए संशोधित कर दिया गया है और यह 0.35 रुपये प्रति मिनट से लेकर 0.65 प्रति मिनट की निर्धारित रेंज में है। इसके अतिरिक्त, एकल और समन्वित अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रदाताओं (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिदेशित किया गया है कि एक पहुंच सेवा प्रदाता हर किसी को अर्थात् अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ और एकल आईएलडीओ को आईटीसी की गैर विभेदकारी दर प्रदान करेगा। ये विनियम 1 मई, 2020 से लागू हुए हैं।

3. **दिनांक 10 जुलाई, 2020 की दूरसंचार अंतर्संयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020** : भादूविप्रा ने इन विनियमों को अधिसूचित किया है ताकि किसी भी दो सरकारी स्विचयुक्त

टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) के बीच तथा पीएसटीएन एवं राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क (एनएलडी) के बीच सुचारू अंतर्संयोजन को सुकर बनाया जा सके।

4. **दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020** : इस संशोधन से अंतरराष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवा के लिए विनियामक रूपरेखा सुकर होगा और उपभोक्ता को अधिकार प्राप्त होगा तथा अधिक बिल से उपभोक्ताओं की रक्षा सुनिश्चित होगी।

घ. विनियमः प्रसारण क्षेत्र

1. **प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2020 का प्रशुल्क आदेश, अंतर्संयोजन विनियम तथा सुवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 में संशोधन** : भादूविप्रा ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को डिजिटल ऐड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) के लिए एक व्यापक विनियामक रूपरेखा जारी किया है। इस रूपरेखा में कतिपय बदलाव को मार्च, 2017 को अधिसूचित विनियामक रूपरेखा के समग्र उद्देष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया था। हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रसारकों और डीपीओ के हितों को संतुलित करते हुए उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाले प्रारंभिक मुद्दों को दूर करने के लिए 1 जनवरी, 2020 को विनियामक रूपरेखा में कतिपय बदलाव किए गए। इन संषोधनों का उद्देश्य बाजार में विसंगतियों को दूर करना और इस क्षेत्र में विकास को सुकर बनाना है।

ड. प्रशुल्क आदेशः दूरसंचार क्षेत्र

1. **दिनांक 03 जून, 2020 का दूरसंचार प्रशुल्क (65वां संशोधन) आदेश, 2020** : इस संशोधन आदेश में दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 की अनुसूची तेरह के विलोपन का प्रावधान है, जिसने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रतिदिन प्रति सिम 100 एसएमएस से अधिक एसएमएस पर न्यूनतम 50 पैसा प्रभारित करने के लिए बाध्यकारी बनाया था। इस संशोधन आदेश ने भादूविप्रा की अन्य पहल को चिह्नित किया अर्थात् प्रशुल्क विनियम को समाप्त करना और प्रशुल्क वहन करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

च. परामर्श पत्रः दूरसंचार क्षेत्र

1. **दिनांक 26 मई, 2020 के ''अंतरराष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवा विनियम'' संबंध में परामर्श पत्र** : परामर्श पत्र (सीपी) को अंतरराष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग (आईएमआर) सेवा की विनियामक रूपरेखा की समीक्षा के लिए जारी किया गया था। इस सीपी का मुख्य फोकस विद्यमान विनियामक अपेक्षाओं को की प्रभाविता की समीक्षा करते हुए विनियमों को लागू करने हेतु आईएमआरसेवा प्राप्त करते और आवश्यकता मूल्यांकन करते हुए उपभोक्ताओं के लिए अधिक बिल का विशिष्ट कारण था।

2. **दिनांक 20 अगस्त, 2020 के ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गति देने और सवंर्धित ब्रॉडबैंड हेतु रूपरेखा'' के संबंध में परामर्श पत्र** : देशभर में विश्वसनीय और उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर सरकार और भादूविप्रा का वर्ष 2004 से ध्यान केन्द्रित रहा है। वर्तमान

स्थिति तक पहुंचने के लिए भूतकाल में भी कई नीति औश्र विनियामक पहलें की गई। ब्रॉडबैंड नेटवर्कों की पहुंच और कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए एनडीसीपी–2018 में कई रणनीतियों की पहचान की गई हैं। ऐसी रणनीतियों को कार्रवाई योग्य बिंदुओं में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। भादूविप्रा ने इस सीपी के माध्यम से फिक्स्ड और मोबाइल ब्रॉडबैंड को परिभाषित करने, अवसंरचना सृजन हेतु दृष्टिकोणों, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड की गति को बढ़ाने के लिए हितधारकों के इनपुट मांगे हैं।

3. **दिनांक 20 अगस्त, 2020 के ''अंतरात्मक लाइसेंस धारण के माध्यम से विभिन्न लेयरों को शुरू करने में समर्थ होने'' के संबंध में परामर्श पत्र** : दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि वे अंतरात्मक लाइसेंसधारण के माध्यम से विभिन्न 'लेयरों' को शुरू करने में समर्थ होने के संबंध में सिफारिश दें। तदनुसार ही, हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने वाला एक सीपी जारी किया गया था।

4. **दिनांक 01 सितम्बर, 2020 के ''गुणवत्तापूर्ण सेवा (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता हेतु प्रथा संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा'' के संबंध में परामर्श पत्र** : इस परामर्श पत्र में दूरसंचार की दुनिया के बदलते परिदृश्य में मीटरिंग ओर बिलिंग हेतु दिशानिर्देश, प्रौद्योगिकी समाधान, जिसमें लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली एवं प्रभावी तरीके आदि से किया जा सकता है, जैसे मुद्दों पर विचार–विमर्श आदि किया गया है।

छ. परामर्श पत्रः प्रसारण क्षेत्र

1. **''प्रसारण और केबल सेवाओं हेतु प्रतिबंधात्मक पहुंच प्रणाली (सीएएस) और सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए रूपरेखा'' के संबंध में परामर्श पत्र (दिनांक 22 अप्रैल, 2020)**: इस परामर्श पत्र के माध्यम से विषय–वस्तु संरक्षण और सब्सक्रिप्शनों की वास्तविक रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल ऐड्रेसेबल प्रणालियों के लिए सभी अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए सीएएस और एसएमएस की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हितधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। इस परामर्श पत्र में सीएएस और एसएमएस प्रणालियों से संबंधित मुद्दों तथा ऐसे मुद्दों को दूर करने हेतु उनके उल्लिखित कारकों और संभावित उपचारात्मक उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया।

2. **''प्लेटफार्म सर्विसों हेतु विनियामक रूपरेखा'' और ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा दी गई प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रति संदर्भ के संबंध में दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 का परामर्श पत्र** : भादूविप्रा ने सभी हितधारियों की टिप्पणियों की मांग करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त प्रति संदर्भों में शामिल मुद्दों पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया। इन सिफारिशों को परामर्श प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर अग्रेषित किया जाएगा। इस परामर्श पत्र में सीएएस और एसएमएस प्रणालियों, उनके अंतर्निहित कारकों और ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए संभावित उपचारात्मक उपायों के संबंध में मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु भी विनिर्दिष्ट किया है।

ज. अन्य मुद्देः दूरसंचार क्षेत्र

1. **''भारत में स्मार्ट सिटीः आईसीटी अवसंरचना हेतु रूपरेखा'' के संबंध में जारी दिनांक 22 सितम्बर, 2020 का श्वेत पत्र** : इस श्वेत पत्र में स्मार्ट शहरों हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका को उद्धृत किया गया, मुख्य स्मार्ट समाधानों पर चर्चा की गई, स्मार्ट शहरों के लिए विशिष्ट पहलुओं से संबंधित वैश्विक मानकीकरण और कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया और भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता के लिए आईसीटी अवसंरचना के लिए रूपरेखा की पहचान करने की कोशिश की गई है। भावी कदम के रूप में इस श्वेत पत्र में स्मार्ट शहरों हेतु आईसीटी अवसंरचना में मानकीकरण, अंतरसंक्रियता, सोपानीयता, धारणीयता और लचीलापन की प्राप्ति पर जोर दिया गया है, जिसे सुसंगत मानकों, अनुपालन परीक्षण, क्लाउड रणनीति, राष्ट्रीय न्यास केंद्र (उपकरण परीक्षण हेतु), साइबर सुरक्षा रणनीति और डाटा विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। श्वेत पत्र से उद्योग और प्रविधि तंत्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा ताकि वे अपनी विचार प्रक्रिया को जीवित कर सके और मुख्य योग्य बनाने वालों की पहचान के माध्यम से बदलाव लाया जा सके जिससे कि भारत में स्मार्ट शहरों के विकास में गति प्रदान की जा सके।

2. **बहुमंजिले आवासीय भवन के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की खोज के संबंध में दिनांक 22 सितम्बर, 2020 का 'मोनोग्रॉफ'** : इस 'मोनोग्रॉफ' में सहयोगपूर्ण साझेदारी के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क के विकास, विकास प्रक्रिया और प्रथा जैसे पहलुओं पर सिफारिश शामिल हैं जिससे उस तरीके से सिद्धांतों और एजेंटों के प्रोत्साहनों को संरेखित करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाला नेटवर्क का भरोसा होता है जिससे विवाद आदि उत्पन्न नहीं होता है।

I. भादूविप्रा द्वारा सरकार के लिए सिफारिशें

दूरसंचार क्षेत्र

- **''दूरसंचार लाइसेंसों के अंतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार'' के संबंध में दिनांक 21 फरवरी, 2020 की सिफारिशें**

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 08 मई, 2019 के पत्र के तहत अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति एनडीसीपी–2018 में विलय और अधिग्रहण, 2014 के लिए इन दिशानिर्देशों में संशोधन द्वारा अनुपालन देयताओं को सरल बनाने और सुविधा प्रदान करने का उल्लेख है ताकि अनुमोदन का सरलीकरण और त्वरित कार्य हो सके। तदनुसार ही, इसने भादूविप्रा (इसके पश्चात प्राधिकरण के रूप में उल्लिखित) से ''विलय और अधिग्रहण संबंधी दिशानिर्देश, 2014 में संशोधन'' पर सिफारिशों की मांग की।

इस संबंध में लाइसेंसों के विलय/अंतरण के संबंध में विद्यमान दिशानिर्देशों में किए जाने वाले अपेक्षित सुधारों पर पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करते हुए और हितधारकों की जानकारी की मांग करते हुए ''दूरसंचार लाइसेंस के अंतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया ताकि सरलीकरण और अनुमोदनों पर त्वरित कार्रवाई हो सके। दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारियों और इसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''दूरसंचार लाइसेंसों के अंतरण/विलय संबंधी दिशानिर्देशों में सुधार'' संबंधी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और इसे विचार किए जाने हेतु दिनांक 21 फरवरी, 2020 को पत्र संख्या 102– 5/ 201–एनएसएल–।। के पत्र के साथ दूरसंचार विभाग के सचिव के पास भेज दिया।

- **''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–। (आईपी–।) पंजीकरण के कार्यक्षेत्र में विस्तार'' के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 2020 की सिफारिशें**

एनडीसीपी–2018 में अवसंरचना प्रदाता (आईपी) के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर और सामान्य साझा योग्य, अक्रिय और सक्रिय अवसंरचना को बढ़ावा देकर और इनकी तैनाती को प्रोत्साहन प्रदान कर सक्रिय अवसंरचना की साझेदी को बढ़ावा देने और सुकर बनाने का उल्लेख है।

प्राधिकरण ने स्व प्रेरणा से ही दिनांक 16 अगस्त, 2019 को 'अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–। (आईपी–।) पंजीकरण के कार्यक्षेत्र की समीक्षा' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें हितधारकों से टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियां मांगी गई थी। दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया था।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुटों, खुला मंच चर्चा के दौरान हुई चर्चा और इनके अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने 'अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–। (आईपी–।) पंजीकरण के कार्यक्षेत्र में विस्तार'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और और विचार करने हेतु दिनांक 13 मार्च, 2020 को पत्र संख्या 413–1/2019–एनएसएल–। के साथ दूरसंचार विभाग के सचिव के पास भेज दिया।

- **''वॉयरलाइन एक्सेस सर्विस हेतु वाणिज्यिक सेवाओं को शुरू किए जाने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' विषय के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें**

  दिनांक 16 जुलाई, 2019 के पत्र के तहत दूरसंचार विभाग से संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया कि सरकार ने दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 को ''वाणिज्यिक सेवाओं को शुरू करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' विषय पर प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 में यथा संशोधित भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 11(1)(क) के खंड के उपबंधों के तहत वॉयरलाइन पहुंच सेवा की वाणिज्यिक शुरूआत से पूर्व नेटवर्क परीक्षण के संबंध में उसी प्रकार की सिफारिशों को प्रदान करने का अनुरोध किया है।

  वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ के अनुसार वॉयरलाइन पहुंच सेवा की वाणिज्यिक शुरूआत करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण के मानकों का निर्णय करने हेतु सिफारिशें तैयार करने हेतु एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है। तथापि, चूंकि दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को ''वाणिज्यिक सेवाओं को शुरू करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' के संबंध में सिफारिशों को तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाए गए और जांच किए गए अधिकांश मुद्दे वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं के लिए समान रूप से प्रयोज्य थे, इसलिए प्राधिकरण ने ''वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं के लिए सर्विस की वाणिज्यिक शुरूआत करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण' के संबंध में विस्तृत प्रारूप सिफारिशों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को जारी किया ताकि क्रमशः दिनांक 30 जनवरी, 2020 और 13 जनवरी, 2020 तक संगत मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां प्राप्त कर सकें।

  हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारियों तथा इसके अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''वॉयरलाइन ऐक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू किए जाने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया और विचार करने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को पत्र संख्या 411 – 01 / 2019 – एनएसएल – । के तहत सचिव, दूरसंचार विभाग को भेज दिया।

- **''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सर्विस हेतु पर्याप्त संख्या संसाधनों को सुनिश्चित करने'' के संबंध में दिनांक 29 मई, 2020 की सिफारिशें**

  दिनांक 08 मई, 2019 को अपने पत्र संख्या 20 – 281 / 2010 – एएस – । भाग बारह (पीटी) के तहत दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें एनडीसीपी – 2018 की कार्यनीतियों के संबंध में सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया था तथा जिसमें अन्य बात के साथ–साथ ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सर्विस हेतु एकीकृत नम्बर योजना को विकसित करते हुए पर्याप्त संख्या में संख्या संबंधी संसाधन को सुनिश्चित किया जाए'' शामिल हो।

  तदनुसार ही, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सर्विस हेतु एकीकृत संख्या योजना विकसित करने'' के संबंध में एक सीपी जारी किया गया जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियों की मांग की गई थी। भादूविप्रा, नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2020 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारियों, खुला मंच चर्चा के दौरान हुई चर्चा और इसके अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सर्विस के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन को सुनिश्चित करना'' विषय पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और विचार करने हेतु 29 मई, 2020 को प्राधिकरण के पत्र संख्या 413 – 2 / 2019 – एनएसएल – । के तहत सचिव, दूरसंचार विभाग के पास भेज दिया।

- **''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सर्विस प्राधिकरण के माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान'' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2020 की सिफारिशें**

सैटेलाइट एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हुए दूरसंचार और प्रसारण सेवाएं प्रदान करता है। अति लघु एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) सैटेलाईट संचार प्रौद्योगिकियों में से एक है जो दूरस्थ और दुर्गम्य स्थानों यथा ग्रामीण क्षेत्रों, जहाजों, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ियों आदि जहां सीमित अथवा कोई भौमिक कनेक्टिविटी नहीं होती है, उनके लिए बड़ा उपयोगी होता है। वीसैट प्रौद्योगिकी का मुख्य लाभ न्यूनतम प्रशिक्षण, सोपानीयता, निम्न परिचालन लागत और दूरस्थ क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूरसंचार की विश्वसनीयता के साथ इसकी त्वरित तैनाती है।

एनडीसीपी – 2018, जिसके भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, में अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न कदमों का उल्लेख है यथा लाइसेंस और विनियामक शर्तों में संशोधन, अनुपालन अपेक्षाओं का सरलीकरण, और उपयुक्त लाइसेंस तंत्र के माध्यम से 'हाई थ्रूपुट सैटेलाइट' प्रणाली के प्रभावी उपयोग के लिए अनुमत्य सेवाओं के कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देना।

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2019 के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये मोबाइल नेटवर्क के लिए बैकहॉल लिंकों की अनुमति हेतु एकीकृत लाइसेंस और यूएल (वीएनओ) समझौता के निबंधन और शर्तों के आधार पर भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियाम प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की शर्तों के तहत सिफारिशें दे।

दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 29 जनवरी, 2020 को ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सर्विस प्राधिकरण के माध्यम से सैटेलाइट के जरिए सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान'' पर एक सीपी जारी किया जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गयी। सीपी में दूरसंचार विभाग द्वारा संदर्भित मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दे यथा इस लाइसेंस के अंतर्गत प्राधिकृत अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए किसी लाइसेंस द्वारा अवसंरचना की साझेदारी, एजीआर – आधारित एसयूसी के लिए स्पेक्ट्रम चार्जिंग (सैटेलाइट आधारित सेवाओं हेतु) से प्रवजन और पृथ्क्करण से संबद्ध मामलों को भी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए उठाया गया।

हितधारकों से सीपी पर लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गई। दिनांक 20 मई, 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और इसके अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सर्विस प्राधिकरण के तहत वीसैट के जरिये सैटेलाइट के माध्यम से

सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया और इसे विचार करने हेतु दिनांक 28 जुलाई, 2020 को प्राधिकरण की पत्र संख्या 402 – 6 / 2019 – एनएसएल – ।। के साथ दूरसंचार विभाग के सचिव के पास भेज दिया गया।

- **''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत एसयूसी को लागू करने की पद्धति'' के संबंध में दिनांक 17 अगस्त, 2020 की सिफारिशें**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 15 जनवरी 2020 को अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ – साथ सूचित किया कि दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच स्पेक्ट्रम की साझेदारी के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी की साझा पश्चात एसयूसी दर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 0.5 प्रतिशत बढ़ जाती है। दूरसंचार विभाग ने यह भी सूचित किया कि उसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनमें अनुरोध किया गया है कि साझा पश्चात 0.5 प्रतिशत की अनुवृद्धि एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर ही लागू किया जाना चाहिए जिन्हें दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा किए जाने की अनुमति दी गई है और लाइसेंसधारियों द्वारा धारित समग्र स्पेक्ट्रम पर नहीं क्योंकि साझेदारी की अनुमति केवल विशेष बैंड के लिए ही है। इस पृष्ठभूमि में दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह (एक) क्या स्पेक्ट्रम की साझेदारी के मामलों में एसयूससी दर में 0.5 प्रतिशत की अनुवृद्धि विशिष्ट बैंड पर ही लागू किया जाना चाहिए जिसमें साझेदारी हो रहा है; अथवा एसयूसी की समग्र भारित औसत दर पर, जिसे सभी बैंडों से व्युत्पन्न किया गया है और (दो) भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में यथा संशोधन के तहत इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली अन्य किन्हीं सिफारिशों के संबंध में अपनी सिफारिश दें।

इस संबंध में ''स्पेक्ट्रम साझेदारी के मामलों में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत एसयूसी को लागू करने के तरीके'' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया था जिसमें पृष्ठभूमि सूचना प्रदान की गई थी और हितधारकों से इनपुट मांगा गया था। नौ हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। दिनांक 09 जुलाई, 2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित किया गया था।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों / जानकारियों और इसके अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''स्पेक्ट्रम साझेदारी के मामलों में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत एसयूसी को लागू करने के तरीके'' के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है और विचार हेतु दिनांक 17 अगस्त, 2020 को प्राधिकरण की पत्र संख्या 103–/2020 – एनएसएल – ।। के साथ दूरसंचार विभाग के सचिव को भेज दिया गया।

- **''ओवर द टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं हेतु विनियामक रूपरेखा'' के संबंध में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की सिफारिशें**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 03 मार्च, 2016 के अपने पत्र 12 – 30 / एनटी / 2015 / ओटीटी (पीटी) के तहत दिनांक 27 मार्च, 2015 के परामर्श पत्र में शामिल किए गए अन्य संगत बिंदुओं के

अलावा प्रशुल्क प्रबंधन तथा आर्थिक, सुरक्षा और सेवाओं के गोपनीय पहलुओं सहित नेट न्युट्रलिटी पर भादूविप्रा की सिफारिश की मांग की।

दूरसंचार विभाग के पत्र में संदर्भित मुद्दों और अन्य अंतर्संबंधित मुद्दों की जटिलता पर विचार – विमर्श करते हुए प्राधिकरण ने भिन्न परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों से निपटने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने पहले से ही ''डाटा सेवाओं हेतु विभेदकारी प्रशुल्कों के निषेध'', ''इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामक रूपरेखा'', ''नेट न्युट्रलिटी'' और ''दूरसंचार क्षेत्र में आंकड़ों की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व'' के संबंध में सिफारिशें अथवा विनियमों को जारी कर दिया है।

भादूविप्रा ने 'ओवर द टॉप' (ओटीटी) संचार सेवाओं हेतु विनियामक रूपरेखा जैसे अवशिष्ट मुद्दों पर दिनांक 12 नवम्बर, 2018 को एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारकों से टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों के लिए विभिन्न मुद्दे उठाए। बाद में, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को बंगलुरु और 20 मई, 2019 को दिल्ली में दो खुला मंच चर्चाएं आयोजित की गई।

प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''ओवर द टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं हेतु विनियामक रूपरेखा'' के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया और विचार हेतु इसे दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को प्राधिकरण के पत्र 310 – 05 / 2015 – क्यूओएस के साथ सचिव को भेज दिया।

- **''क्लॉउड सेवा'' के संबंध में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की सिफारिशें**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 27 सितम्बर, 2018 और 6 मई, 2019 के पत्र 4 – 4 / क्लॉउड सर्विस / 2017 – एनटी के तहत ''उद्योग निकाय के पंजीकरण की निबंधन व शर्तों, पात्रता, प्रविष्टि शुल्क, पंजीकरण अवधि और अभिशासन रूपरेखा आदि'' के संबधं में अतिरिक्त सिफारिशों की मांग की।

इस संदर्भ के अनुसरण में भादूविप्रा ने दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 को एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारकों से टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाया। बाद में दिनांक 28 फरवरी, 2020 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

प्राप्त टिप्पणियों और बाद के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''क्लॉउड सेवाओं'' के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और विचार हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को प्राधिकरण के पत्र 305 – 03 / 2015 – क्यूओएस के साथ दूरसंचार विभाग के सचिव के पास भेज दिया।

- **''नेट न्यूट्रलिटी हेतु ट्रैफिक प्रबंधन प्रथा (टीएमपी) और बहु हितधारक निकाय'' के संबंध में दिनांक 22 सितम्बर, 2020 की सिफारिशें**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 31 जुलाई, 2018 और 17 जून, 2019 के पत्र 12 – 30 / एनटी / 2015 / ओटीटी (पीटी) के तहत ट्रैफिक प्रबंधन प्रथा (टीएमपी) और बहु हितधारक निकाय अर्थात्'' दूरसंचार विभाग के विचार हेतु आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन प्रथा (टीएमपी) और बहु हितधारक निकाय के गठन, कार्य, भूमिका और जिम्मेदारियों'' के संबधं में अतिरिक्त सिफारिशों की मांग की।

इस संदर्भ के अनुसरण में भादूविप्रा ने दिनांक 02 जनवरी, 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारकों से टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाया। बाद में, दिनांक 24 जून, 2020 को दिल्ली में एक खुली मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''नेट न्यूट्रलिटी हेतु ट्रैफिक प्रबंधन प्रथा (टीएमपी) और बहु हितधारक निकाय'' के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और विचार हेतु दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को प्राधिकरण के पत्र 305 – 14 / 2014 – क्यूओएस (पीटी – एक) के साथ दूरसंचार विभाग के सचिव को भेज दिया।

दूरसंचार सेवाओं हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी सिफारिशों के प्रति संदर्भ

- **दिनांक 12 मार्च, 2020 के ''कैप्टिव वीसैट सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों'' के संबंध में सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रति संदर्भ के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 2020 पर प्राधिकरण की प्रतिक्रिया**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 12 मार्च, 2020 को अपने पत्र 824 – 200 / सीएपी – वीसैट / पॉलिसी / 2013 – डीएस के माध्यम से सूचित किया कि भादूविप्रा की दिनांक 18 जुलाई, 2017 की ''कैप्टिव वीसैट सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों'' पर सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और इसे भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत सुविचारित राय / सिफारिश देने के लिए कुछ सिफारिशों को वापस भेज दिया गया।

भादूविप्रा ने उचित विचार – विमर्श के पश्चात प्रति संदर्भ्ज्ञ के अपने उत्तर में अंतिम रूप दिया और विचार हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के पत्र 102 – 2 / 2016 – एनएसएल – ।। (भाग–।।) के साथ दूरसंचार विभाग के सचिव के पास भेज दिया।

- **दिनांक 09 मार्च, 2017 के ''सार्वजनिक वाई – फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार'' के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिशों के पुनर्विचारण हेतु दिनांक 29 मई, 2020 के दूरसंचार विभाग के प्रति संदर्भ के संबंध में प्राधिकरण की दिनांक 09 जून, 2020 की प्रतिक्रिया**

दूरसंचार विभाग ने पुनर्विचारण हेतु ''सार्वजनिक वाई – फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार'' के संबंध में दिनांक 09 मार्च, 2017 की भादूविप्रा की सिफारिशों को दिनांक 29 मई, 2020 के पत्र संख्या 16 / 13 / 2017 – डीएस – ।।। के तहत वापस भेज दिया।

भादूविप्रा ने उचित विचार – विमर्श के पश्चात प्रति संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दे दिया और इसे विचार करने हेतु दिनांक 05 जून, 2020 को प्राधिकरण के पत्र 4 – 5 / 2016 – बीबीएंडपीए के साथ सचिव, दूरसंचार विभाग के पास भेज दिया।

- **दिनांक 21 अक्तूबर, 2019 के ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए निबंधन व शर्तों की समीक्षा'' के संबंध में सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रति संदर्भ के लिए प्राधिकरण की दिनांक 28 सितम्बर, 2020 की प्रतिक्रिया**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26 सितम्बर, 2020 के अपने पत्र 18 – 5 / 2015 – सीएस – । (पीटी) के तहत सूचित किया कि दिनांक 21 अक्तूबर, 2019 को ''अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए निबंधन व शर्तों की समीक्षा'' के संबंध में सिफारिशों की सरकार द्वारा समीक्षा की गई और भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत पुनर्विचार के लिए वॉयस अथवा आंकड़ा आधारित ओएसपी के श्रेणीकरण, बैंक गारंटी, सीसीएसपी / एचसीसीएसपी, नेटवर्क रेखाचित्र, अंतरराष्ट्रीय ओएसपी हेतु विदेशी पीएबीएक्स, शास्ति, घर से कार्य संपादन और आंकड़ों और 'वॉयस पॉथ' का अंतर्संयोजन जैसे कुछ मुद्दों को वापस भेज दिया।

प्राधिकरण ने उचित विचार – विमर्श के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दे दिया और विचार हेतु दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को प्राधिकरण के पत्र 413 – 3 / 2018 – एनएसएल – । के साथ सचिव, दूरसंचार विभाग के पास भेज दिया।

प्रसारण क्षेत्र

- **''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' के संबंध में दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2019 के पत्र एन – 38011 / 1 / 2019 – एफएम के तहत भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि वह भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (1)(क) के सदंर्भ में एफएम चरण – ।।। की नीति के तहत 283 शहरों (260 नए और 23 विद्यमान) के लिए नए आरक्षित मूल्य के संबधं में अपनी सिफारिश दें।

इस संबंध में भादूविप्रा ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2019 को ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां / विचार मांगे गए। बाद में भादूविप्रा ने दिनांक 08 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में एक खुली मंच चर्चा आयोजित की।

उपर्युक्त परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों और प्राधिकरण के अपने विश्लेषण के आधार पर इसने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया और विचार हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को पत्र संख्या 23 – 3 / 2014 – बीएंडसीएस के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया।

- **''सेट टॉप बॉक्स की अंतरसंक्रियता'' के संबंध में दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें**

सेट टॉप बॉक्स की गैर – अंतरसंक्रियता को मुक्त प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए प्रमुख अड़चनों में से एक अड़चन माना जाता है। वर्तमान परिदृश्य में दूरदर्शन उपभोक्ता सेवा प्रदाताओं को गैर – अंतरसंक्रिय उपकरणों द्वारा उत्पन्न कृत्रिम बाधा के कारण बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भादूविप्रा एक समान दिशा वाले प्रसारण सेवाओं में सेट टॉप बॉक्स अंतरसंक्रियता की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय करता रहा है।

इस संबंध में भादूविप्रा ने सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 11 नवम्बर, 2019 को ''सेट टॉप बॉक्स की अंतरसंक्रियता'' पर अपने आप ही एक परामर्श पत्र जारी किया।

अंतरसंक्रियता को लागू करने के लिए बेहतर समाधान प्राप्त करने हेतु प्रश्न रखे गए। दिनांक 29 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का भी आयोजन किया गया।

प्राप्त टिप्पणियों / जानकारियां, खुला मंच चर्चा के दौरान हुई चर्चा, वैश्विक पद्धतियों और अपने विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने ''सेट टॉप बॉक्स की अंतरसंक्रियता'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और इसे विचार हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को पत्र संख्या 21 – 9 / 2019 – बीएंडसीएस / भाग – ।। के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास भेज दिया गया।

- **''भारत में टेलीविजन दर्शक मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा'' के संबंध में दिनांक 28 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें**

वर्ष 2012 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेटिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जबावदेही को सुनिश्चित करने के लिए भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक दिशानिर्देशों / प्रत्यायन तंत्र के निर्धारण हेतु भादूविप्रा की सिफारिश मांगी। सुविस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद भादूविप्रा ने दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ''भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश / प्रत्यायन तंत्र'' के संबंध में अपनी सिफारिश दी। प्राधिकरण ने बार्क जैसे एक उद्योग नीत निकाय के माध्यम से टेलीविजन के स्व विनियम का समर्थन किया। भादूविप्रा ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए व्यापक दिशानिर्देशों की सिफारिश की।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भादूविप्रा की सिफारिशों को स्वीकार किया और दिनांक 10 जनवरी, 2014 को भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। इन दिशानिर्देशों के तहत भारत में टेलीविजन रेटिंगों का कार्य करने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 2015 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उद्योग नीत निकाय बार्क का प्रत्यायोजन किया गया। बार्क ने वर्ष 2015 में अपना कार्य शुरू किया और उसके बाद से यह वाणिज्यिक आधार पर टेलीविजन रेटिंग सेवाओं का एकमात्र सेवा प्रदाता है।

हितधारकों द्वारा विद्यमान रेटिंग प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के संबधं में कई चिंताएं व्यक्त की गई हैं जिससे भारत में विद्यमान टेलीविजन दर्शक मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा करना एक आवश्यक कार्य बन गया।

तदनुसार, भादूविप्रा ने विद्यमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 को ''भारत में टेलीविजन दर्शक मापन और रेटिंग की समीक्षा'' पर स्वयं ही एक परामर्श पत्र जारी किया। तत्पश्चात्, दिनांक 31 मई, 2019 को नई दिल्ली में और 03 जुलाई, 2019 को मुम्बई में इस विषय पर खुली मंच चर्चा आयोजित की गई।

उपर्युक्त परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों और अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने ''भारत में टेलीविजन दर्शक मापन और रेटिंग एजेंसी की समीक्षा'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और इसे विचार हेतु दिनांक 28 अप्रैल, 2020 को पत्र 23 – 4 / 2013 – बीएंडसीएस के साथ सूचना और सचिव, प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया।

प्रसारण सेवाओं हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी सिफारिशों के लिए प्रति संदर्भ

- **''डीटीएच आपरेटरों द्वारा दी गई प्लेटफार्म सेवाओं के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिशों'' में संस्तुत सुझावों पर सिफारिश देने हेतु दिनांक 13 मई, 2020 की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रति संदर्भ के लिए दिनांक 26 मई, 2020 की प्राधिकरण की दिनांक 13 नवम्बर, 2019 की प्रतिक्रिया**

  प्राधिकरण ने दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा दी गई प्लेटफार्म सेवाओं संबंधी सिफारिशों'' को सरकार के लिए जारी किया। इन सिफारिशों के माध्यम से प्राधिकरण ने डीटीएच दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्लेटफार्म सेवाओं से संबंधित कुछ मुद्दों को शामिल करने की सिफारिश की। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार को सक्षम बनाने हेतु संस्तुत संशोधनों पर प्राधिकरण की सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से दिनांक 13 मई, 2020 को एक प्रति संदर्भ की प्राप्ति हुई। प्राधिकरण ने उक्त प्रति संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 26 मई, 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया। अपने उत्तर में प्राधिकरण ने सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को दोहराया।

II. विनियम

दूरसंचार क्षेत्र

- **दिनांक 16 जनवरी, 2020 का दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020,**

दिनांक 15 जून, 2007 के दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष विनियम, 2007 में मूल विनियम में सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं के अदावाकृत राशि को जमा करने, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष के अनुरक्षण और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए मूलभूत रूपरेखा की व्यवस्था है। इन विनियमों के अनुसार सेवा प्रदाता ऐसी अदावाकृत राशियों को इस कोष में जमा करते रहे हैं। प्राधिकरण ने यह पाया कि राशि जमा करने में सेवा प्रदाताओं में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है जिसे वे उपभोक्ताओं को वापस करने में असमर्थ रहे हैं। इस संबंध में प्राधिकरण ने उक्त विनियमों अर्थात् दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020 के लिए दिनांक 16 जनवरी, 2020 को संशोधन जारी किया। इस संशोधन के साथ सेवा प्रदाता किसी रूप में किसी भी अदावाकृत उपभोक्ता धन, यथा अत्यधिक प्रभार, जमानत राशि, असफल सक्रिय के प्लान प्रभार, अथवा उपभोक्ता से संबंधित अन्य कोई राशि, को 12 महीनों का समय अथवा इस विधि में विनिर्दिष्ट सीमा अवधि जो भी बाद में हो, देने के बाद उक्त कोष में जमा करेंगे।

- **दिनांक 17 अप्रैल, 2020 ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020''**

प्राधिकरण ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' को जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से 0.30 पैसे प्रति मिनट की दर से नियत आईटीसी व्यवस्था में 0.35 प्रति मिनट से लेकर 0.65 पैसे प्रति मिनट की निर्धारित दर के भीतर वहनीय व्यवस्था में संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अकेले और समन्वित आईएलडीओ के बीच समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश दिया गया कि पहुंच सेवा प्रदाता हर किसी अर्थात् अपने संबद्ध आईएलडीओ और एकल आईएलडीओ को आईटीसी की गैर – विभेदकारी दर प्रदान करेगा। इन विनियमों को दिनांक 01 मई, 2020 से लागू किया गया।

- **दिनांक 10 जुलाई, 2020 ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020''**

प्राधिकरण ने दिनांक 10 जुलाई, 2020 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020'' को अधिसूचित किया जो अंतर्संयोजन को किन्हीं दो सार्वजिनिक स्विच दूरभाष नेटवर्क (सामान्यतः फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के लिए संदर्भित) तथा पीएसटीएन एवं एनएलडी नेटवर्क के बीच आसान बनाता है।

''अंतर्संयोजन हेतु विनियामक रूपरेखा की समीक्षा'' के संबंध में एक सीपी को दिनांक 30 मई, 2019 को जारी किया गया जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गयी। इस संबंध में नई दिल्ली में 19 अगस्त, 2019 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई। हितधारकों

से प्राप्त टिप्पणियों / जानकारियों के आधार पर खुला मंच चर्चा के दौरान चर्चा आयोजित की गई और अपने स्वयं के विश्लेषण के बाद प्राधिकरण ने ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020'' को अधिसूचित किया।

''दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018'' में संशोधन का सार – संक्षेपण निम्नवत है:

(क) सेवा क्षेत्र के भीतर पीओआई के स्थान में पीएसटीए और पीएसटीएन के बीच अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल ऐसे स्थान पर होगा जिसके लिए अंतर्संयोजन प्रदाता के बीच और अंतर्संयोजन चाहने वाले परस्पर सहमति हो।

(ख) यदि अंतर्संयोजन प्रदाता और अंतर्संयोजन चाहने वाले के बीच सहमति नहीं बनती है तो पीओआई का स्थान पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल एलडीसीसी में होगा। ऐसे मामले में एलडीसीसी से एसडीसीसी और इसके विपरित, जैसा भी लागू हो, तक कॉल जाने के लिए ले जाने के प्रभार अंतर्संयोजन प्रदाता के लिए अंतर्संयोजन चाहने वाले द्वारा चुकाया जाएगा।

(ग) पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच अथवा पीएसटीएन एवं एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए एसडीसीसी स्तर पर विद्यमान पीओआई कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा उस समय तक के लिए परिचालन में रहेगा जिसमें अंतर्संयोजित सेवा प्रदाता ऐसे पीओआई को बंद करने के लिए परस्पर निर्णय लेता है, जो भी पहले हो।

(घ) पीएसटीएन और पीएसटीन के बीच अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉलों के लिए एसडीसीसी स्तर पर विद्यमान पीओआई बंद किया जा सकता है यदि अंतर्संयोजित सेवा प्रदाताओं में से कोई भी सेवा उस एसडीसीए में बंद हो जाती है।

- **दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020**

प्राधिकरण ने दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम (टीसीपीआर), 2020 को अधिसूचित किया। इस संशोधन को अधिनियमित किए जाने के साथ ही, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में एक नया अध्याय जुड़ गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाओं के लिए विनियामक रूपरेखा प्रदान करने और अत्यधिक बिलों से उपभोक्ता की रक्षा सुनिश्चित करने हुए उन्हें शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था थी।

प्रसारण क्षेत्र

- **प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए प्रशुल्क आदेश, अंतर्संयोजन विनियम और सेवाओं की गुणवत्ता विनियम, 2017 में दिनांक 01 जनवरी, 2020 का संशोधन**

डीएएस के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए तथा इस क्षेत्र को अपने लाभों के बाने जानने में समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण ने उचित परामर्ष प्रक्रिया के पश्चात दिनांक 03 मार्च, 2017 को डीएएस के लिए एक व्यापक विनियामक रूपरेखा प्रकाशित की। यह रूपरेखा इस क्षेत्र में सामंजस्य कारोबारी प्रक्रिया, समान अवसर प्रदान करने में, टीवी चैनल के मूल्यन में पारदर्शिता

लाने में, हितधारकों में मुकदमेबाजी को कम करने और छोटे बहु प्रणाली वाले आपरेटरों (एमएसओ) को समान अवसर प्रदान करने में बड़ी सफल रही है। इसके परिणामस्वरूप हितधारकों के बीच विवादों और प्रविष्टि अड़चनों में स्पष्ट कमी आयी है। इस पारदर्शिता से बेहतर कर अनुपालन भी हुआ है जिससे कि सरकार के राजस्व में सुधार आया है। तथापि, उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा के अनुसार चुनने की अभिप्रेत स्वतंत्रता सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए विभिन्न कदाचारों के कारण विफल हो गयी।

इसलिए, परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों से कतिपय प्रशुल्क और अंतर्संयोजन संबंधी मुद्दों पर टिप्पणियों और सुझावों की मांग की, जिसे प्राधिकरण ने माना कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है और मार्च, 2017 में अधिसूचित विनियामक रूपरेखा के समग्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हितधारकों के साथ उचित परामर्श के पश्चात प्राधिकरण ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 को प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए एक विनियामक रूपरेखा हेतु निम्नलिखित संशोधन जारी किए:

(क) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (आठवां) (ऐड्रेसेबल प्रणाली) प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2020।

(ख) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा गुणवत्ता का सेवा मानक और उपभोक्ता संरक्षण (ऐड्रेसेबल प्रणाली) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020।

(ग) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (ऐड्रेसेबल प्रणाली) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020।

इन संशोधनों से उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली जटिल मुद्दों का समाधान होता है और समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रसारकों और डीपीओ के हित भी संतुलित होते हैं। इन संशोधनों से यह आशा की जाती है कि बाजार में कतिपय विसंगतियां दूर होंगी जिसने इस क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की प्राप्ति के लिए एक समीक्षा को आवश्यक बनाया है। परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किए गए इन संशोधनों ने नई व्यवस्था के मूलभूत तत्वों को अक्षुण्ण रखा है तथा प्रसारकों / डीपीओ अपने कारोबारों को करने में अधिक लचीलेपन का उपयोग करना जारी रखेगा। इस समीक्षा कार्य को कतिपय उपभोक्ता अनुकूल उपायों और हितधारकों के हित को संतुलित करने तक ही सीमित रखा गया है। इन संशोधनों से यह सुनिश्चित होगा कि विद्यमान रूपरेखा के उद्देश्य काफी हद तक पूरे हों। दिनांक 01 जनवरी, 2020 के अनुसार प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए विनियामक रूपरेखा में संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत थी:

(क) अधिकतम 130 रुपये प्रति माह के एनसीएफ में एसडी चैनलों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 200 करना।

(ख) अधिकतम 160 रुपये प्रति माह के एनसीएफ में 200 से अधिक एसडी चैनल।

(ग) डीपीओ के अपने सेवा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न एनसीएफ घोषित करने हेतु उसे लचीलापन प्रदान करना। इसे प्रावधान से डीपीओ को ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में कम एनसीएफ में उनके प्रशुल्क ऑफर में नवाचार लाने और स्थानीय मांगों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

(घ) विज्ञापन संबंधी योजनाओं की पेशकश करने के लिए डीपीओ हेतू लचीलापन। वे छह माह अथवा इससे अधिक की अवधि वाले दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन के संबंध में एनसीएफ और डिस्ट्रीब्यूटर खुदरा मूल्य (डीआरपी) पर छूट भी प्रदान कर सकते हैं।

(ड.) बुके में शामिल करने के लिए पे – चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य के संबंध में अधिकतम खुदरा मूल्य को 19 रुपये से घटाकर 12 रुपये करना।

(च) एक से अधिक टेलीविजन वाले घरों में दूसरे और इससे अधिक टेलीविजन कनेक्शन के लिए एनसीएफ को प्रति अतिरिक्त टेलीविजन घोषित एनसीएफ के अधिकतम 40 प्रतिशत।

(छ) किसी एक से अधिक टेलीविजन वाले घर में प्रत्येक टेलीविजन कनेक्शन के लिए सब्सक्राइबर चैनलों के भिन्न सेट चुन सकता है।

(ज) डीपीओ छह महीने और इससे अधिक की अवधि वाले दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन पर एनसीएफ और डीपीआर पर छूट प्रदान कर सकता है।

(झ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अलाकार्ट आधार और बुके में पे – चैनलों के मूल्यों के बीच एक उपयुक्त संबंध हो, जांची – परखी और उद्योग स्वीकृत दोहरी शर्तों को लागू करना।

(ञ) प्रसारकों द्वारा पेशकश किए गए बुके की संख्या पर उपयुक्त प्रतिबंध। पे – चैनलों के बुके की संख्या किसी प्रसारक द्वारा पेशकश किए गए पे चैनल की संख्या से अधिक नहीं हो।

(ट) बुके तैयार करने और मूल्य निर्धारण करने और अधिक औचित्यपरकता लाने के लिए उक्त चैनल में किसी भी बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य किसी चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ठ) भाषा अथवा शैली के आधार पर ईपीजी पर टेलीविजन चैनलों को व्यवस्थित करने के लिए डीपीओ को पूर्ण लचीलापन। इस प्रावधान से डीपीओ द्वारा पूर्व में मनमानी चालबाजी की तुलना में उपभोक्ताओं और प्रसारकों के हित की रक्षा होगी। इससे डीपीओ द्वारा किसी संभावित दुरुपयोग से क्षेत्रीय और छोटे प्रसारकों की भी रक्षा होगी।

(ड) किसी डीपीओ के लिए प्रति माह प्रति स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) चैनल चार लाख रुपये की दर से वाहक शुल्क की सीमा। इससे समाचार, क्षेत्रीय और विशिष्ट चैनलों की व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी।

III. प्रशुल्क आदेश

दूरसंचार क्षेत्र

- **दिनांक 3 जून, 2020 का दूरसंचार प्रशुल्क (65वां संशोधन) आदेश, 2020**

  व्यपक परामर्श प्रक्रिया और एक ऑनलाइन खुला मंच चर्चा के बाद प्राधिकरण ने दिनांक 03 जून, 2020 को दूरसंचार प्रशुल्क (65वां संशोधन) आदेश, 2020 को जारी किया।

  इस संशोधन आदेश में दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 की अनुसूची तेरह को विलोपित करने का प्रावधान है, जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि वे प्रतिदिन प्रति सिम 100 से अधिक एसएमएस से अधिक एसएमएस के लिए प्रत्येक एसएमएस पर न्यूनतम 50 पैसा प्रभारित करे। इस संशोधन आदेश में प्रशुल्क विनियम को समाप्त करने और प्रशुल्क वहनीयता की व्यवस्था को मजबूत करने में प्राधिकरण की एक और पहल को चिह्नित किया है।

IV. निदेश

दूरसंचार क्षेत्र

- **दिनांक 18 नवम्बर, 2013 के अपने निदेश संख्या 815 – 3 / 2012 – टीडी को वापस लिए जाने के संबंध में सभी मूलभूत सेवा प्रदाताओं / सीएमटीएस / यूएएसएल / यूएल और यूएल (वीएनओ) और सभी अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदाताओं तथा 14 नवम्बर, 2013 के अपने निदेश संख्या 815 – 3 / 2012 – टीडी को वापस लिए जाने के संबंध में सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए जारी दिनांक 2 जनवरी, 2020 का निदेश**

वर्ष 2012 में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के संबंध मे बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सभी अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदाताओं और राष्ट्रीय लंबी दूरी के सेवा पदाताओं, सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, मूलभूत सेवा लाइसेंसधारियों, सीएमटीएस, यूएएसएल, यूएल और यूएल (वीएनओ) लाइसेंसधारियों के लिए निदेश जारी किया और निदेश दिया कि वे प्राधिकरण को अपने नेटवर्क परिचालन के कार्बन फुटप्रिंट की घोषणा करे। तदनुसार ही, प्राधिकरण ने दिनांक 14 नवम्बर, 2013 और 18 नवम्बर, 2013 को दूरसंचार विभाग के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए 815 – 3 / 2012 – टीडी के तहत निदेश जारी किया।

दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को दूरसंचार विभाग की सूचना के अनुसरण में प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित दूरसंचार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 को ''एप्रोच टूवर्ड सस्टेनेबल टेलीकाम'' के संबंध में सिफारिशें जारी की। भारत सरकार ने भादूविप्रा की उक्त सिफारिशों पर विचार किया और तदनुसार ही, दूरसंचार विभाग ने (एक) सभी बेसिक सेवा लाइसेंसधारियों, सीएमटीएस, यूएएसएल, यूएल और यूएल (वीएनओ) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 15 मई, 2019 को पत्र संख्या 20 – 271 / 2010 – एएस – एक भाग दो तथा (दो) सभी अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं और राष्ट्रीय लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं को दिनांक 07 जनवरी, 2019 को पत्र संख्या 16 – 6 / 2011 – सीएस – तीन के तहत निर्धारित प्रपत्र में दूरसंचार विभाग के डीजीटी विंग के लिए अपने नेटवर्क परिचालन के कार्बन फुटप्रिंट की सूचना देने के लिए निदेश जारी किया।

तत्पश्चात, प्राधिकरण ने दिनांक 14 नवम्बर, 2013 और 18 नवम्बर, 2013 के अपने निदेश संख्या 815 – 3 / 2012 – टीडी को दिनांक 2 जनवरी, 2020 के पत्र के तहत वापस ले लिया।

- **दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2020 का निदेश**

प्राधिकरण ने दिनांक 20 जनवरी, 2020 के अपने निदेश संख्या 311 – 04 / 2017 – क्यूओएस के तहत सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को निम्नवत निदेश दिया:

(क) इन विनियमों के अनुसार पहुंच प्रदाताओं द्वारा स्थापित नई प्रणाली में पंजीकरण के बिना नए एसएमएस और वॉयस हेडर को निर्धारित नहीं करना।

(ख) पहुंच प्रदाता द्वारा दी गई हेडर सूची (दिनांक 10 जनवरी, 2020 के ई – मेल के तहत पहुंच प्रदाताओं के साथ प्राधिकरण द्वारा साझा की गई समेकित सूची) और जो एक वर्ष से प्रयोग में है, के आधार पर प्राधिकरण द्वारा यथा सूचीबद्ध विद्यमान एसएमएस और वॉयस हेडरों का चार सप्ताह के समय में नई प्रणाली में स्थानांतरित करना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि इस निदेश के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर मुख्य कंपनियां पहुंच प्रदाताओं को विद्यमान सब्सक्राइबरों की सहमति की सूची सौंपे।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि इस निदेश के जारी रहने की तिथि से छह महीने के पूर्व दर्ज सहमति अमान्य हो जाती है और नई प्रणाली में स्थानांतरण नहीं होना चाहिए।

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि सब्सक्राइबरों की सभी नई सहमति इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार नई प्रणाली में पंजीकृत होंगे।

(च) यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कंपनियां उन सब्सक्राइबरों को विज्ञापन संबंधी संदेश अथवा कॉल भेजने में सक्षम नहीं है जिन्होंने ऐसे अधिमान के लिए विकल्प नहीं दिया है यदि उन्होंने पहुंच प्रदाताओं के साथ सब्सक्राइबरों की सहमति साझा नहीं की है अथवा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इन सब्सक्राइबरों से सहमति नहीं ली है।

(छ) यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कंपनियां तब तक किसी वाणिज्यिक संदेश भेजने में समर्थ नहीं हैं जब तक कि वे पहुंच प्रदाताओं के साथ स्वयं को पंजीकृत नहीं करते हैं।

(ज) यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कंपनियां किसी सेवा और संव्यवहार संदेश भेजने में सक्षम नहीं है जब तक कि वे पहुंच प्रदाताओं के पास विशिष्ट पंजीकृत हेडर की तुलना में टेम्प्लेट पंजीकृत नहीं करते हैं।

(झ) हिंदी और अंग्रेजी के कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन द्वारा इस निदेश के जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपने स्वयं के अथवा अन्य पहुंच प्रदाताओं के साथ मीडिया अभियान चलाना।

(ञ) उपभोक्ताओं को इससे अवगत कराना कि यदि वे अवांछित वाणिज्यिक संवाद करते हैं तो उनके दूरसंचार संसाधनों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयोग की अधिकतम सीमा के तहत रखा जा सकता है अथवा कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

(ट) मुख्य कंपनियों को उन उपायों के बारे में अवगत कराना जिनके बारे में उन्हें हेडर और विषयवस्तु टेम्प्लेट के पंजीकरण, विद्यमान सब्सक्राइबरों की सहमति सौंपना और सहमति की अधिग्रहण प्रक्रिया करने जैसे कार्य को करने की आवश्यक होती है।

(ठ) उपभोक्ता, मुख्य कंपनियों और अन्य हितधारकों को उन उपायों से अवगत कराना जिनके बारे में उन्हें अवांछित वाणिज्यिक संदेश के खतरे से निपटने के लिए वेब पोर्टल और संगत ऐपों के ब्योरे सहित उपाय करने होते हैं और पहुंच प्रदाताओं द्वारा उपाय किये गए जाते हैं।

(ड) इस निदेश के जारी करने के 30 दिनों के भीतर आवधिक प्रचार जिसमें विषयवस्तु, माध्यम, आवृत्ति विनिर्दिष्ट होती है और ऐसे प्रचार के तरीके के लिए इन विनियमों के विनियम 11 के

लिए अनुपालन में समय – सीमा के साथ इस प्लॉन को प्राधिकरण के साथ साझा करना।

- **जम्मू और कश्मीर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में द्वितीय और आगे के मोबाइल नम्बरों की पोर्टिंग की सुविधा के लिए दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 के निदेश में दिनांक 26 फरवरी, 2020 का संशोधन**

प्राधिकरण ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 के अपने निदेश के तहत अन्य बातों के साथ – साथ पहुंच सेवा प्रदाताओं को अपने मोबाइल नेटवर्क में दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 में किए गए प्रावधान तंत्र के अनुसार चालू पोर्टिंग के अनुरोध को रद्द करने के लिए और 'विशिष्ट पोर्टिंग कोड' (यूपीसी) के लिए अनुरोध करते हुए अपने सब्सक्राइबरों से लघु संदेश सेवा (एसएमएस) प्राप्ति के उद्देश्य के लिए एक तंत्र की स्थापित करने, जैसा भी मामला हो, और ऐसे अनुरोधों को उस जोन, जिस अंचल से यह मोबाइल नम्बर संबद्ध है, के मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी सेवा प्रदाता को ऐसे अनुरोध भेजने का निदेश दिया जाता है।

अंतर – सर्किल पोर्टिंग के परिदृश्य में जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम के अलावा अन्य लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्र से संबंधित किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता से अपने दूसरे अथवा बाद के मोबाइल कनेक्शनों को जम्मू और कश्मीर के लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्र में किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास पोर्ट कराने का इच्छुक सब्सक्राइबर को पोर्टिंग अनुरोध के रद्दीकरण का सामना करना पड़ेगा क्योंकि चार दिनों की वैधता (सातवें संशोधन विनियम के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट) के साथ सब्सक्राइबर द्वारा सृजित यूपीसी स्थानीय पुलिस से अनुमति के लिए दूरसंचार विभाग के अनुदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट 10 दिनों की समाप्ति अवधि वैध नहीं होगी।

इसलिए, प्राधिकरण ने उपर्युक्त कारणों से एवं लाइसेंस की निबंधन व शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने के लिए अपने दिनांक 26 फरवरी, 2020 के निदेश के माध्यम से निम्नलिखित परंतुक को अंतर्विष्ट करते हुए दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 के निदेश को संशोधित किया।

बशर्ते यह भी कि यदि प्राप्तकर्ता आपरेटर से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होता है तो मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी सेवा प्रदाता पाता है कि जम्मू और कश्मीर के लाइसेंस युक्त क्षेत्र से संबंधित प्राप्तकर्ता आपरेटर और दाता आपरेटर जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के अलावा अन्य किसी लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्र से संबंधित हो; ऐसे पोर्टिंग अनुरोधों में यूपीसी की वैधता 15 दिन मानी जाएगी और यूपीसी की वैधता उस दिन को छोड़कर माना जाएगा जिस दिन सब्सक्राइबर द्वारा यूपीसी के लिए अनुरोध किया जाता है।

- **दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 के कार्यान्वयन के संबंध में सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं के लिए दिनांक 19 जून, 2020 का निदेश**

प्राधिकरण ने अपने दिनांक 19 जून, 2020 के निदेश संख्या 311 – 04 / 2017 – क्यूओएस के तहत सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को निदेष दिया कि:

(क) नए 'हेडर' से किसी मुख्य कंपनी को सौंपने के लिए अनुरोध के साथ निपटने हेतु न्यूनतम कार्यनिष्पादन अपेक्षाएं यह सुनिश्चित करना कि हेडरों के पंजीकरण और सौंपने के लिए नए अनुरोधों को संसाधित करने में कोई विचाराधीनता नहीं हो, आदि, प्रत्येक पहुंच प्रदाताः

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि मुख्य कंपनी का पंजीकरण उक्त मुख्य कंपनी द्वारा सभी संगत ब्योरे को सौंपने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर अनुमोदित किया जाए।

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि मुख्य कंपनी जिसने पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है, को आवेदन को सौंपने की तिथि से तीन कार्य दिवस के भीतर किसी और स्पष्टीकरण के लिए पहुंच प्रदाता के संपर्क ब्योरे देते हुए आवेदन में पाई गई कमियों के बारे में विधिवत सूचित करे।

(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि उस तिथि से दो कार्य दिवस के भीतर हेडर किसी पंजीकृत मुख्य कंपनी को सौंपा जाए अथवा वैध कारणों से रद्द किया जाए, जिस तिथि को हेडर के समनुदेशन के लिए ऐसा अनुरोध किया गया है; इस प्रकार के रद्द करने में आवेदक को रद्द करने के कारणों की सूचना दी जाएगी।

(ख) पंजीकृत मुख्य कंपनियों (पीई) और संबद्ध हेडरों के बारे में सूचना प्रकाशित करना प्रत्येक पहुंच प्रदाता भेजने वालों के बारे में पारदर्शिता लाने के बारे में:

(i) पहुंच प्रदाता, जिसने नाम, पता, शहर, पिन कोड के पूर्ण ब्योरे के साथ ऐसे पीई को वास्तव में पंजीकृत किया है, के निरपेक्ष डीएलटी के संबंध में पंजीकृत सभी पीई की अद्यतन सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा;

(ii) प्रत्येक हेडर जिसके लिए वह उपयोग किया जाता है, के भिन्न उद्देश्य के ब्योरे के साथ किसी विशेष पीई से संबद्ध सभी हेडरों की अद्यतन सूची को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा;

(iii) 1909 पर संदेश "DETAILS of <Header>" के साथ एसएमएस भेजकर (एक) और (दो) में किसी विशेष हेडर के लिए उल्लिखित सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने उपभोक्ता को सुविधा प्रदान करेगा, जो पहले से ही यूसीसी संबंधी उद्देश्यों के लिए प्रयोग में है।

(ग) विनियमों के अनुसार कंपनियों हेतु भूमिका प्रदान करने और हेडरों को निर्धारित करने के लिए सेवा समझौता प्रत्येक पहुंच प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कंपनी को कोई ऐसी भूमिका नहीं दी जाए जो इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं हो और

(i) सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई सेवा समझौता नहीं किया जाए जिसमें अन्य कंपनियों जैसे टेली व्यापारकर्ताओं के लिए पहुंच प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली भूमिका प्रदान करता हो।

(ii) टेली व्यापारकर्ताओं के साथ सेवा समझौता, यदि कोई हो, जिसमें पहुंच प्रदाता ने अपनी भूमिका और कार्य यथा कंपनी पंजीकरण, विषय – वस्तु / सहमति टेम्प्लेट पंजीकरण, टेली व्यापारकर्ताओं के हेहर पंजीकरण को सौंपा है, की विद्यमान निबंधन व शर्तो की समीक्षा करेगा और संशोधित करेगा क्योंकि वे इन विनियमों के अनुपालन में नहीं है।

(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति अथवा कानूनी सत्ता के अलावा कोई अन्य कंपनी, जिसने संदेश भेजा है अथवा वॉयस कॉल किया है, जिससे संदेश भेजा जाना है अथवा वॉयस कॉल किया जाना है अथवा संदेश भेजने के लिए प्राधिकृत या वॉयस कॉल करने के लिए प्राधिकृत किया है, वह नए हेडरों के पंजीकरण अथवा समनुदेशन के लिए पीई के रूप में स्वयं को प्रस्तुत नहीं करे।

(घ) पीई के पंजीकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाना प्रत्येक पहुंच प्रदाता हिंदी और अंग्रेजी के कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों को प्रकाशित कर इस निदेश के जारी होने से 15 दिनों के भीतर स्व्यं अथवा अन्य पहुंच प्रदाताओं के साथ समन्वय में एक मीडिया अभियान चलाएगा ताकि –

(i) पीई, जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं किया है, उन्हें पहुंच प्रदाताओं के पास पंजीकृत किए बिना वाणिज्यिक संदेश भेजकर और उन्हें सौंपे गए हेडरों का उपयोग न कर बताया जाए कि वे इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं।

(ii) पीई उन उपायों से अवगत हैं कि उन्हें अपने कारोबारी हितों की रक्षा करने के लिए हेडर और विषयवस्तु टेम्प्लेट के पंजीकरण, विद्यमान सब्सक्राइबरों को सौंपने और सहमति की अधिग्रहण प्रक्रिया को करने की आवश्यकता है।

(iii) पीई उन उपायों से अवगत है जिन्हें उन्हें उठाए जाने की आवश्यकता है और साथ ही अवांछित वाणिज्यिक संदेशों के खतरे को कम करने के लिए वेब पोर्टल और संगत एप के ब्योरे सहित पहुंच प्रदाताओं द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी है।

(iv) पीई उन सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों के विशिष्ट पेजों के लिंकों के बारे में अवगत है जो सेवा प्रदाता ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनके पास पंजीकरण के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं और इस उद्देश्य के लिए तैयार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) प्रकाशित करते हैं; पीई तक पहुंचने के लिए डिजीटल मीडिया जैसे अभियान के विभिन्न अन्य माध्यमों का उपयोग करते हैं।

- **मोबाइल नम्बरों की गैर–अदायगी होने पर उन्हें बंद किया जाना और पुनः कनेक्शन अनुरोध करते हुए यूनिक पोर्टिंग कोड सृजित करने के लिए प्रयोज्य 10 रुपये की न्यूनतम सीमा के संबंध में दिनांक 27 अगस्त, 2020 का निदेश**

प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 24 मई, 2011 के निदेश संख्या 116 – 3 / 2011 – एमएन के अवरोध में और लाइसेंस की निबंधन व शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करते

हुए व उपभोक्ताओं की हित की रक्षा करने के लिए दिनांक 27 अगस्त, 2020 के अपने निदेश संख्या 116 – 6 / 2017 – एनएसएल – दो (भाग दो) के तहत डोनर आपरेटर के रूप से सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को निदेश देता है कि:

(क) इन विनियमों के विनियम 6क के उप विनियम (3) के खंड (ख) के तहत एमएनपीएसपी द्वारा बकाया राशियों के संबंध में प्रश्न के उत्तर में यूपीसी सृजित करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए यदि पूर्व में चुकाए गए बिल में पोस्टपेड सब्सक्राइबर से बकाया का भुगतान राशि 10 रुपये अथवा इससे कम है जिसे सेवा प्रदाता किसी शास्ति प्रभार के बिना सब्सक्राइबर के बाद के बिल में शामिल कर सकता है;

(ख) एनपीडी अनुरोध उक्त मोबाइल नम्बर के लिए सृजित नहीं किया जाना चाहिए यदि पोर्ट करने वाले सब्सक्राइबर से बकाया राशि 10 रुपये या इससे कम हो और यह बिना किसी शास्ति प्रभार के हो;

(ग) प्रापक आपरेटर द्वारा उठाए जा रहे एमएनपीएसपी से प्राप्त पुनः कनेक्शन अनुरोध के लिए दाता आपरेटर का उत्तर ''कोई बकाया लंबित नहीं'' यदि सब्सक्राइबर से बकाया राशि 10 रुपये या इससे कम हो;

(घ) जब यूपीसी सृजित करने के लिए विनियम 6क के उप विनियम (3) के खंड (छ) के तहत एमएनपीएसपी द्वारा करार संबंधी दायित्वों को बनाए रखने संबंधी प्रश्न पूछा जाता है तो निम्न मामलों को छोड़कर यूपीसी सृजित करने के लिए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए –

(i) करार संबंधी दायित्व के साथ बंडलयुक्त हैंडसेट के साथ पोस्टपेड कनेक्शन जिसमें बाहर निकलने का खंड हो और सब्सक्राइबर ने उसका अनुपालन नहीं किया हो; और

(ii) करार संबंधी दायित्व के साथ कार्पोरेट कनेक्शन जिसमें बाहर निकलने का खंड हो और सब्सक्राइबर ने उसका अनुपालन नहीं किया हो।

➢ ''प्रशुल्क प्रकाशन और प्रशुल्क विज्ञापन'' विषय पर दिनांक 18 सितम्बर, 2020 का निदेश

प्राधिकरण ने दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को ''प्रशुल्क पेशकश के प्रकाशन में पारदर्शिता'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है। वीडियो सम्मेलन के जरिए दिनांक 17 जून, 2020 को प्राधिकरण द्वारा इस परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया। इस परामर्श के अनुसरण में यह पाया गया कि प्रशुल्क प्रकाशन संबंधी विद्यमान निदेश में केवल विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में ही प्रशुल्क प्लानों के ब्योरे को प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता थी जो अपर्याप्त हो गया है और जो प्रशुल्क आफरिंग में बदलावों के साथ गतिशील परिदृश्य में प्रशुल्कों के प्रकाशन से निपटने के लिए प्रभावी दृष्टिकोण नहीं है।

इस प्रकार, प्राधिकरण ने दिनांक 16 जनवरी, 2012 को निदेश सं. 301 – 14 / 2010 – ईआर के अधिक्रमण में दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के निदेश के तहत टीएसपी को निदेश दिया है जो निम्नवत रूप में विनिर्दिष्ट है:

क) यथा प्रयोज्य पोस्ट – पेड सब्सक्राइबरों और प्रीपेड सब्सक्राइबरों के लिए प्रत्येक प्रशुल्क प्लान का सेवा – क्षेत्र – वार ब्योरा प्रकाशित करना। सेवा प्रदाता उपभोक्ता सुविधा केंद्र, बिक्री केंद्रों, खुदरा बिक्री केंद्रों और वेबसाइट, दूरसंचार सेवा प्रदाता के एप पर सब्सक्राइबरों के लिए ऐसे प्रशुल्क प्लान उपलब्ध कराएगा। सेवा प्रदाताओं के पास प्रशुल्क प्लानों और विशेष प्रशुल्क वॉउचरों / 'कॉम्बो वॉउचरों' / 'एड – ऑन' पैकों के लिए निम्नलिखित आवश्यक प्रकटन होगाः

(i) सभी महत्वपूर्ण सूचना यथा यूनिट / वॉयस का वॉल्यूम, आंकडा और एसएमएस, यथा प्रयोज्य उक्त दर, उपयोग सीमा, और अधिकार युक्त प्रयोग से इतर गति आदि,

(ii) संगत मदों के ब्योरे के साथ अग्रिम लागत का पूर्ण ब्यौरा,

(iii) प्रशुल्क प्लान / पैक की वैधता अवधि और बिल के भुगतान की अंतिम तिथि के संबंध में सूचना,

(iv) प्रशुल्क प्लान / पैक में सभी विशिष्ट समावेशन की व्यापक सूची,

(v) सभी प्रभारों का पूर्ण ब्योरा जिन्हें विनिर्दिष्ट पात्रता से परे दूरसंचार और गैर – दूरसंचार उत्पादों के उपयोग के लिए उपभोक्ताओं पर अध्यारोपित किया जा सकता है अथवा उन दूरसंचार और गैर – दूरसंचार उत्पादों के लिए जिन्हें प्रशुल्क प्लान / पैक में विशेष रूप से प्रस्ताव नहीं किया गया है अथवा शामिल नहीं किया गया है,

(vi) सभी वचनबद्ध सेवा मानक यथा डाटा गति आदि, और

(vii) प्रयोज्य उचित उपयोग नीति के ब्योरे सहित सभी वास्तविक शर्तों का पूर्ण ब्यौरा।

ख) यह सुनिश्चित करना कि प्रकाशित प्रशुल्क हर बार सेवा प्रदाता की वेबसाइट, एप पर डाला जाता है और उपभोक्ता सुविधा केंद्र, बिक्री केंद्रों और खुदरा बिक्री केंद्रों में रखा जाता है और किन्हीं प्रशुल्क आफर में किसी परिवर्तन अथवा शुरू किए गए नए प्रशुल्क पेशकश को अपलोड किया जाता है और विभिन्न केंद्रों पर रखा जाता है

ग) प्राधिकरण के पास इस निदेश के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर निदेशों की अनुपालन रिपोर्ट सौंपना, और

घ) प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष के दिनांक 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को इन समाप्त तिमाही में महीने की सात तारीख तक स्व – प्रमाणन के द्वारा निदेशों के संबंध में सतत अनुपालन का तथ्यात्मक विवरण सौंपना।

➢ **'विभाजित पेशकशों' से संबंधित सूचना प्राप्त करने के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए जारी दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 का निदेश**

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के आदेश के अनुसरण में प्राधिकरण ने सभी टीएसपी को निदेश दिया है कि वे दिसम्बर, 2020 से खंडित पेशकश के निम्नलिखित ब्योरे को प्रत्येक एलएसए हेतु मासिक आधार पर दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के निदेश की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर प्रदान करे।

(i) दरों और संबंधित निबंधन व शर्तों, सेवाओं की प्रमात्रा का ब्यौरा, प्रशुल्क प्लान का नाम, और सब्सक्रिप्शन की वैधता अवधि और प्रशुल्क प्लान में सब्सक्राइबरों के लिए उपलब्ध लाभ जिनमें विभाजित आफर प्रदान किए गए हैं।

(ii) माह के अंत में संबंधित प्रशुल्क प्लान के तहत विद्यमान सब्सक्राइबरों के लिए विभाजित पेशकशों की संख्या।

(iii) दरों और संबंधित निबंधन व शर्तों, सेवाओं की प्रमात्रा का ब्यौरा, सब्सक्रिप्शन की वैधता अवधि और उक्त विभाजित पेशकशों में से प्रत्येक पेशकश में सब्सक्राइबरों को उपलब्ध लाभ।

(iv) प्रत्येक माह के अंत में सब्सक्राइबरों की संख्या जिन्होंने प्रत्येक प्रशुल्क प्लान के भीतर विभाजित पेशकश का लाभ लिया है।

(v) यह घोषणा कि प्रत्येक विभाजित पेशकश के लाभ उक्त खंड / वर्ग में आने वाले सभी विद्यमान उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं तथाा गैर विभेदकारी सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया गया है।

प्रसारण क्षेत्र

➢ **डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा (सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को जारी किया गया दिनांक 17 जनवरी, 2020 का निदेश**

प्राधिकरण ने अपने दिनांक 17 जनवरी, 2020 के निदेश के माध्यम से मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को निम्नवत निदेश दिए:

(क) ऐसे सभी सब्सक्राइबरों को प्रतिदाय करे जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 से 05 दिसम्बर, 2018 के दौरान प्रभावित हुए थे, जिसके लिए भुगतान भी प्राप्त किया गया था।

(ख) प्राधिकरण को ऐसे सभी सब्सक्राइबरों की सूची सौंपे, जिन्हें उपयुक्त पैरा (प) के तहत प्रतिदाय किया गया साथ ही ऐसे किए गए प्रतिदाय की राशि की जानकारी भी प्रदान करे।

(ग) उपयुक्त पैरा (प) के तहत सब्सक्राइबरों को प्रतिदाय नहीं किए जा सकी राशि को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि विनियम, 2007 (वर्ष 2007 का छठा) के उपबंधों के अनुरूप निम्नवत खाते में जमा करे।

खाते का नामः दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि (टीसीईपीएफ)

खाता संख्याः 520101223026359

बैंक तथा शाखा : कारपोरेशन बैंक, आसफ अली रोड,

आईएफएससी कोड : CORP0000679

- **दिनांक 01 जनवरी, 2020 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 तथा दिनांक 01 जनवरी, 2020 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रसारकों को जारी किया गया दिनांक 24 जुलाई, 2020 का निदेश**

जून – जुलाई, 2020 के माह के दौरान कतिपय प्रसारकों ने डीपीओ को संशोधित मूल्यों के साथ नए बुके को स्वीकार करने को कहना आरंभ कर दिया, और एक बड़े प्रसारक ने अपने कम मूल्य वाले बुके को बंद कर दिया ताकि उपभोक्ता उच्च मूल्य वाले बुके को प्राप्त कर सकें; जिससे उनके द्वारा किए जाने वाले मासिक व्यय में वृद्धि हुई, और उक्त प्रसारक ने दिनांक 01 अगस्त, 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए अपने कम मूल्य के बुके को बंद करने की घोषणा की। उक्त प्रसारक द्वारा जबर्दस्ती थोपे जा रहे नए बुके टीएओ, 2020 के उपबंधों के अनुरूप नहीं थे, और यह की प्रसारक ने प्राधिकरण को सूचित करना भी उचित नहीं समझा, जोकि मूल प्रशुल्क आदेश, 2017 में उपबंधित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का स्पष्ट उल्लंघन है।

ऐसे प्रसारक, स्थापित सिद्धांतों तथा मौजूदा विनियमों की पूर्णरूपेण से अनदेखी करते हुए प्रशुल्क आदेश, 2020 का उल्लंघन करते हुए सेवा पेशकश में बदलाव करना आरंभ करते हैं और एकतरफा ढ़ंग से बुके के मूल्य बढ़ाते हुए तथा साथ ही साथ कम मूल्य के बुके को बंद करते हुए यथा स्थिति में व्यवधान पैदा करते हैं तथा उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

इसके अलावा, कुछ डीपीओ प्राधिकरण के ध्यान में लाए हैं कि अनेक प्रसारक प्रशुल्क संशोधन आदेश, 2017 तथा अंतर्संयोजन संशोधन आदेश, 2020 के उपबंधों के अनुरूप समझौतों पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं थे और प्रसारकों द्वारा पेशकश किए जा रहे आरआईओ मौजूदा विनियमों तथा आदेशों के अनुपालन नहीं करते हैं, डीपीओ ऐसे गैर – अनुपालन करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं हैं जिससे क्षेत्र में एक विनियामकारी निर्वात पैदा हो जाता है।

इस क्षेत्र में तदर्थवाद तथा अनिश्चितता ने समय से समझौतों को पूर्ण करने तथा एकल / राजस्व सहभागिता के उपबंधों के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी, जिससे क्षेत्र का स्वस्थकारी तथा सुचारू विकास प्रभावित हुआ।

यह भी पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रशुल्क संशोधन आदेश, 2020 तथा अंतर्संयोजन विनियम, 2020 के गैर – अनुपालन की तुलना में प्रतिरोधी उपाय नहीं करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाया जाने वाला संयम न केवल उपभोक्ताओं के लिए अनुचित था परंतु डीटीएच आपरेटरों तथा एमएसओ आदि के लिए भी अनुचित था जिन्होंने पहले ही अंतर्संयोजन विनियम, 2020 तथा प्रशुल्क संशोधन आदेश, 2020 के अनुसार अपने दायित्वों पहले ही निवर्हन कर दिया था। ऐसे डीटीएच आपरेटरों तथा एमएसओ ने प्राधिकरण के समक्ष यह भी कहा कि कतिपय प्रसारकों द्वारा दायित्वों के पूरी तरह से गैर – निष्पादन के कारण वे संशोधन प्रशुल्क आदेश 2020 के शेष भाग को लागू नहीं कर पाए।

प्राधिकरण ने पाया कि (i) कतिपय प्रसारकों द्वारा घोषित किए गए संशोधित मूल्य दिनांक 01 अगस्त, 2020 से लागू होने थे; (ii) प्राधिकरण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध था और अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट सकता है; (iii) ऐसी संभावना थी कि प्रत्येक प्रसारक ऐसे ही कदाचार आरंभ कर दे; जिससे प्राधिकरण द्वारा प्रसारण क्षेत्र के विनियम के लिए निर्धारित किए गए विधिक ढ़ांचे को ठेस पहुंचे जिससे पूर्ण अवयवस्थाकी स्थिति तथा उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में अनिश्चितता पैदा होती है; और (iv) और प्रशुल्क संशोधन आदेश, 2020 तथा अंतर्संयोजन विनियम, 2020 के कार्यान्वयन में आगे विलम्ब, उपभोक्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी।

इसलिए, प्राधिकरण ने दिनांक 24 जुलाई, 2020 को प्रसारकों को विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश जारी किया तथा प्राधिकरण को दिनांक 10 अगस्त, 2020 को अथवा इससे पूर्व नाम, स्वरूप, भाषा, चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमाह और बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमाह अथवा बुके की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने को कहा।

- **दिनांक 18 अगस्त, 2020 का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के तहत सभी प्रसारकों को जारी किया गया दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निदेश में संशोधन**

प्राधिकरण ने दिनांक 24 जुलाई, 2020 को सभी प्रसारकों को निदेश दिया था कि वे दिनांक 10 अगस्त, 2020 तक टीएओ, 2020 तथा अंतर्संयोजन विनियम, 2020 के अनुपालन में चैनलों का नाम, स्वरूप, भाषा, अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमाह तथा चैनलों के बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य, अथवा बुके की संरचना के साथ साथ रेफरेंस इंटरकनेक्टिड ऑफर (आरआईओ) में संशोधन किए जाने की जानकारी दें।

रिट याचिका संख्या (एल) 117 / 2020 तथा 147 / 2020 में दायर किए गए दो आईए को सूचीबद्ध किया गया था तथा दिनांक 07 अगस्त, 2020 को माननीय बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने आदेश जारी करते हुए यह निदेश दिया था कि याचिकाकर्ता – प्रसारकों द्वारा दायर किए गए आईए को खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए जिन्होंने रिट याचिकाओ की सुनवाई की थी।

याचिकाकर्ताओं – प्रसारकों द्वारा सभी आईए को तदनुसार माननीय बंबई उच्च न्यायालय की संबंधित खंड पीठ के समक्ष दिनांक 12 अगस्त, 2020 को सूचीबद्ध किया गया था, जहां माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान, प्राधिकरण ने माननीय न्यायालय को यह आश्वस्त किया था कि दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निदेश में यथा विहित दिनांक 10 अगस्त, 2020 की तिथि को बढ़ाकर दिनांक 26 अगस्त, 2020 कर दिया जाएगा। इसलिए, प्राधिकरण ने अधिसूचित किया कि दिनांक 24 जुलाई, 2020 का निदेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाए कि दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निदेशों में यथा विहित दिनांक 10 अगस्त, 2020 की तिथि को दिनांक 26 अगस्त, 2020 से प्रतिस्थापित की जाती है।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के साथ पठित की उप धारा (ख) के तहत मैसर्स गुड मीडिया केबल नेटवर्क को जारी किया गया दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 का निदेश**

  प्राधिकरण ने अपने दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 के निदेश के माध्यम से मैसर्स गुड मीडिया केबल नेटवर्क को इलेक्ट्रिानिक प्रोग्राम गाईड में चैनलों की लिस्टिंग के संबंध में दिनांक 03 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) की उप खंड (अ) के साथ पठित धारा 13 के तहत मैसर्स डैन सेटेलाइट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मेट्रो कॉस्ट नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जेपीआर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सैवन स्टार डाट कॉम प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया दिनाक 04 दिसम्बर, 2020 का निदेश**

  प्राधिकरण ने अपने दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के निदेश के माध्यम से मैसर्स डैन सेटेलाइट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मेट्रो कास्ट नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जेपीआर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सैवन स्टार डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

- **इलेक्ट्रिानिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों की लिस्टिंग के संबंध में दिनांक 03 माार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 तथा दिनांक 03 माार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स थमिज़ागा केबल टेलीविजन कम्यूनीकेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 का निदेश जारी किया गया**

  प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिानिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों की लिस्टिंग के संबंध में दिनांक 03 माार्च, 2017 का अंतर्संयोजन विनियम और दिनांक 03 मार्च, 2017 का सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स थमिज़ागा केबल टेलीविजन कम्यूनीकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मानाकुला विनियागर डिजिटल नेटवर्क और मैसर्स केएएल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 का निदेश जारी किया।

v. परामर्श पत्र

दूरसंचार क्षेत्र

- **''ट्रेफिक मेनेजमेंट प्रेक्टिसेज (टीएमपी) तथा नेट न्यूट्रिलिटी के लिए बहु हितधारक निकाय'' के दिनांक 02 जनवरी, 2020 का परामर्श पत्र**

  प्राधिकरण ने दिनांक 02 जनवरी, 2020 को ''ट्रेफिक मेनेजमेंट प्रेक्टिसेज (टीएमपी) तथा नेट न्यूट्रिलिटी के लिए बहु हितधारक निकाय'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। यह पत्र, इंटरनेट ट्रेफिक के मापन तथा औचित्यपूर्ण टीएमपी के संकलन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को समझने के लिए टीएमपी तथा एमएसबी नेट न्यूट्रिलिटी से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है ताकि टीएमपी तैयार करने के लिए ढांचा तैयार किया जा सके तथा विभिन्न एमएसबी की संरचना, कार्यकरण तथा अभिशासन ढांचे से संबंधित विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की जा सके।

- **''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के माध्यम से उपग्रह के माध्यम से सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी'' के संबंध में दिनांक 29 जनवरी, 2020 का परामर्श पत्र**

  दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2019 के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की शर्तों के तहत वीसैट के माध्यम से उपग्रह के जरिए मोबाइल नेटवर्क हेतु बैकहाल लिंक को अनुमति प्रदान करने एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) करार तथा एकीकृत लाइसेंस की निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण से अपने दिनांक 13 अगस्त, 2019 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया। दूरसंचार विभाग ने उल्लेख किया कि वीसैट सक्षमताओं का उपयोग करने के लिए और अब तक इंटरनेट द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में इंटरनेट तथा वॉयस सेवाओं की व्यवस्था में बढोत्तरी करने के लिए वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा लाइसेंस के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में बीटीएस / मोबाइल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वीसैट सक्षमताओं को उपयोग करने तथा सेल्युलर बैकहाल को अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता है।

  इस संबंध में हितधारकों से उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के माध्यम से उपग्रह के जरिए सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी'' के संबंध में दिनांक 29 जनवरी, 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

- **दिनांक 18 फरवरी, 2020 का प्ररूप दूरसंचार प्रशुल्क (65वां संशोधन) आदेश**

  अवांछित वाणिज्यिक संचार के लिए खुदरा उपभोक्ताओं के लिए बाजार में उपलब्ध रियायती एसएमएस पैकेज के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 05 नवंबर, 2012 का दूरसंचार प्रशुल्क (54 वें संशोधन) आदेश जारी किया था, जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए प्रति दिन 100 एसएमएस प्रति सिम से अधिक के प्रत्येक एसएमएस के लिए न्यूनतम 50 पैसे प्रति एसएमएस प्रभारित करना अनिवार्य हो गया था। हालांकि, दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के तहत यथा निर्धारित, यूसीसी के लिए संशोधित व्यापक विनियामक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, एसएमएस प्रशुल्क विनियमन के मुद्दे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों

के लिए दिनांक 18 फरवरी, 2020 को दूरसंचार प्रशुल्क (65 वां संशोधन) आदेश, 2020 का मसौदा जारी किया।

- **''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत विधि के तहत एसयूसी लागू करने की पद्धति'' के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का परामर्श पत्र**

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 15 जनवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ – साथ सूचित किया कि दिनांक 24 सितंबर 2015 को दूरसंचार विभाग द्वारा पहुंच सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए पहुंच स्पेक्ट्रम की सहभागिता के लिए मौजूदा दिशा – निर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को स्पेक्ट्रम की सहभागिता के उपरांत एसयूसी दर में एजीआर की स्पेक्ट्रम की सहभागिता के उपरांत 0.5 प्रतिशत की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों द्वारा धारित संपूर्ण स्पेक्ट्रम पर, क्योंकि किसी विशेष बैंड में साझा करने की अनुमति है। इस पृष्ठभूमि में दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से निम्नवत के संबंध में अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया (i) स्पेक्ट्रम की सहभागिता के मामले में एसयूसी दर में 05 प्रतिशत की वृद्धि केवल विनिर्दिष्ट बैंड पर ही लागू होती है जिसमें सहभागिता की जा रही है; अथवा एसयूसी की समग्र भारित औसत दर पर लागू होती है, जिसे सभी बैंडों से निकाला गया हो (ii) यथा संशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत इस प्रयोजनार्थ उचित पाई जाने वाली कोई अन्य सिफारिशें।

इस संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को ''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत विधि के तहत एसयूसी लागू करने की पद्धति'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया गया था जिसमें परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां / प्रति – टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।

- **''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सेवाओं को विनियमित करने'' के संबंध में दिनांक 26 मई, 2020 का परामर्श पत्र**

प्राधिकरण ने आईएमआर सेवाओं के प्रशुल्कों के सम्प्रेषण में एक सामान्य पारदर्शिता की कमी अथवा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किए जाने वाले प्रशुल्कों के संबंध में संज्ञान लिया जिसके कारण बिल प्राप्त होने पर एक झटका लगता है। आईएमआर सेवाओं के संबंध में विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, दिनांक 26 मई, 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया जिसमें आईएमआर सेवाएं प्राप्त किए जाने पर उपभोक्ताओं को बिल संबंधी झटका लगने के विशिष्ट कारणों और मौजूदा विनियामकारी अपेक्षाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हुए विनियम लाए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन करना पर ध्यान दिया गया था।

- **''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के संबंध में खाका और बढी हुई ब्राडबैंड स्पीड'' के संबंध में दिनांक 20 अगस्त, 2020 का परामर्श पत्र**

प्राधिकरण ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के संबंध में खाका और बढी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया।

देश में भरोसेमंद और हाई – स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी को बढाने पर सरकार और प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004 से ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में पहुंचने के लिए विगत में अनेक नीतिगत और विनियामक पहल की गई हैं। आईसीटी के क्षेत्र में लगातार होते विकास ने सरकार, प्राधिकरण और टीएसपी पर ब्रॉडबैंड नेटवर्कों में सुधार करने के लिए और उसकी पहुच में सुधार करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। किए जा रहे प्रयास उपभोक्ताओं की लगातार बढती तथा आशाओं पर खरा उतर रहे हैं। ब्रॉडबैंड नेटवर्कों की पहुंच तथा निष्पादन में सुधार करने के लिए एनडीसीपी – 2018 में अनेक रणनीतियों की पहचान की गई है। ऐसी रणनीतियों को कार्यरूप देने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने निम्नवत बिंदुओं पर, यथा संशोधित, प्राधिकरण से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अनुसार अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया:

क. अलग – अलग श्रेणियों के लिए अलग – अलग स्पीड अर्थात् परिभाषित की गई अपलोड / डाउनलोड स्पीड के साथ फिक्सड बनाम मोबाइल;

ख. जैसा कि यूरोप में किया गया है ब्रॉडबैंड स्पीडों की विभिन्न श्रेणियों जैसे मूलभूत ब्रॉडबैंड, हाई ब्रॉडबैंड तथा अल्ट्रा हाई ब्रॉडबैंड, आदि को परिभाषित किया जा सकता है; और

ग. एनडीसीपी – 2018 के 50 एमबीपीएस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रॉडबैंड स्पीड को बढाने के लिए खाका।''

दूरसंचार विभाग ने दो अन्य पृथक संदर्भों के माध्यम से एनडीसीपी – 2018 रणनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं यथा ''पुनर्बिक्री तथा वर्चुअल नेटवर्क आपरेटरों (वीएनओ) आदि के माध्यम से अवसंरचना सृजन तथा पहुंच के लिए नवोन्मेष पद्धतियों को प्रोत्साहित कर'' और ''नवोन्मेषी और वैकल्पिक प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी को बढावा देना''। दोनों रणनीतियां ''कनेक्ट इंडिया: सुदृढ डिजिटल संचार अवसंरचना को तैयार करना'' का भाग हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ, प्राधिकरण, इस परामर्श पत्र के माध्यम से फिक्सड और मोबाइल ब्रॉडबैंड को परिभाषित करने, अवसंरचना तैयार करने के लिए नवोन्मेषी पद्धतियां, और ब्रॉडबैंड स्पीड को बढाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करना चाहता है।

➢ ''विभेदकारी लाइसेंसिग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग करने'' के संबंध में दिनांक 20 अगस्त, 2020 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 08 मई, 2019 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने 'प्रोपेल इंडिया मिशन' के तहत यह सूचित किया कि एनडीसीपी – 2018 की परिकल्पना 'निवेश तथा नवोन्मेष और व्यापार करने में सुगमता को बढावा देने के लिए लाइसेंसिग तथा विनियामकारी व्यवस्था में सुधार लाने' की एक रणनीति के रूप में की गई थी। विभेदकारी लाइसेंसिग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिग को सक्षम बनाया जाना (उदाहरण के लिए, अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाएं तथा अनुप्रयोग लेयर) उपयुक्त रणनीति को पूर्ण करने के लिए एक कार्य योजना थी। दिनांक 08 मई, 2019 के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ

साथ यथा संशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की शर्तों के अधीन प्राधिकरण को विभेदकारी लाइसेंसिग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिग को सक्षम बनाने के संबंध में सिफारिशें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

पूर्व में, प्रधिकरण ने ''विभेदकारी लाइसेंसिग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग करने'' पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 के पूर्व – परामर्श पत्र के माध्यम से लाइसेंस के अनबंडलिंग के लिए व्यापक ढांचे पर हितधारकों से जानकारी मांगी थी।

पूर्व – परामर्श पत्र, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों तथा आंतरिक विश्लेषण पर हितधारकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, ''विभेदकारी लाइसेंसिग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग करने'' के संबंध में दिनांक 20 अगस्त, 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

- **सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग तथा बिलिंग सटीकता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2006 के संबंध में दिनांक 01 सितम्बर, 2020 का परामर्श पत्र**

प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों आमंत्रित करने के लिए दिनांक 01 सितंबर, 2020 को ''सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग तथा बिलिंग सटीकता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2006'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। पत्र में दूरसंचार जगत के बदलते परिदृश्य में मीटरिंग तथा बिलिंग के दिशानिर्देशों, अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से लेखापरीक्षा कराने में मदद करने के लिए तकनीकी समाधानों की संभावनाओं और यह जांचने के लिए कि क्या सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग तथा बिलिंग सटीकता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा करने की आवश्यकता है, पर विचार – विमर्श किया गया है।

प्रसारण क्षेत्र

- **''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणालियां (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए ढ़ांचे'' के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का परामर्श पत्र**

प्राधिकरण ने दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को ''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणालियां (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए ढ़ांचे'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र को स्व – प्रेरणा के आधार पर आरंभ किया गया था ताकि सीएएस तथा एसएमएस प्रणालियों और उनके आधारभूत कारकों तथा संभावित उपचारात्मक उपायों के संबंध में मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सके।

- **''प्लेटफार्म सेवाओं हेतु विनियामक ढांचे'' विषय पर दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की प्राधिकरण की सिफारशिों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 के वापसी संदर्भ तथा ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा पेशकश की गई प्लेटफार्म सेवाओं'' पर प्राधिकरण की दिनांक 13 नवम्बर, 2019 की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का वापसी संदर्भ**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के परंतुक के अनुसार

''प्लेटफार्म सेवाओं हेतु विनियामक ढांचे'' विषय पर प्राधिकरण की दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की सिफारिशों को अपने दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से वापस भेजा ताकि उन सिफारिशों पर पुनर्विचार किया जा सके जिन्हें आशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 के एक अन्य पत्र के माध्यम से ''प्लेटफार्म सेवाओं हेतु विनियामक ढांचे'' विषय पर प्राधिकरण की दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की सिफारिशों और ''डीटीएच आपरेटरों द्वारा पेशकश की जाने वाले प्लेटफार्म सेवाओं'' विषय पर प्राधिकरण की दिनांक 13 नवम्बर, 2019 की सिफारिशों का संदर्भ दिया। इस दूसरे संदर्भ के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एमएसओ द्वारा पेशकश की जाने वाले प्लेटफार्म सेवाओं के चार मुद्दों पर कतिपय सिफारिशों को ''डीटीएच'' शब्द को ''एमएसओ'' शब्द से उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित कर अंगीकार करने का प्रस्ताव किया तथा प्राधिकरण को उपयुक्त प्रस्ताव पर अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का अनुरोध किया।

प्राधिकरण ने उपरोक्त दोनों पत्रों पर एक साथ विचार किया। प्राधिकरण ने वर्ष 2014 में ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक ढ़ांचे'' पर अपनी सिफारिशें भेज दी थीं और तब से अनेक घटनाक्रम हुए हैं। इसके अलावा, एमआईबी द्वारा एमएसओ पर भी वर्ष 2019 में डीटीएच ऑपरेटरों के लिए की गई कुछ सिफारिशों की तुलना में अपने दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 के उपरोक्त संदर्भित पत्र में कुछ नए मुद्दे उठाए गए हैं। इसलिए, अपनी परिपाटी के अनुरूप, प्राधिकरण एक उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद एमआईबी को उपरोक्त पत्रों पर अपनी सिफारिशें प्रदान करेगा। इसलिए, प्राधिकरण ने दिनांक 07 दिसंबर, 2020 को सभी हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया।

VI. खुला मंच चर्चा (ओएचडी)

दूरसंचार क्षेत्र

- **''फिक्सड लाइन और मोबाइल नेटवर्क सेवाओं के लिए एकीकृत नम्बरिंग योजना को विकसित करने'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को आयोजित खुला मंच चर्चा**

''फिक्सड लाइन और मोबाइल नेटवर्क सेवाओं के लिए एकीकृत नम्बरिंग योजना को विकसित करने'' संबंधी परामर्श पत्र पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया था।

''फिक्सड लाइन और मोबाइल नेटवर्क सेवाओं के लिए एकीकृत नम्बरिंग योजना को विकसित करने'' संबंधी परामर्श पत्र पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को आयोजित खुला मंच चर्चा

- **''अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2020 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई**

प्राधिकरण ने दिनांक 03 फरवरी, 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के ''अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' के संबंध में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया। खुला मंच चर्चा में टीएसपी, सेवा प्रदाता संघों, कम्पनियों, संगठनों आदि विभिन्न निकायों ने भाग लिया।

- **दिनांक 28 फरवरी, 2020 को ''क्लॉउड सेवाओं'' के संबंध में खुला मंच चर्चा का आयोजन**

प्राधिकरण ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 को ''क्लॉउड सेवाओं'' पर परामर्श पत्र के संबंध में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

दिनांक 28 फरवरी, 2020 को ''क्लॉउड सेवाओं'' पर परामर्श पत्र के संबंध में खुला मंच चर्चा का आयोजन

- **''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत उपग्रह के माध्यम से सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 20 मई, 2020 को खुला मंच चर्चा का आयोजन**

  प्राधिकरण ने ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत उपग्रह के माध्यम से सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 20 मई, 2020 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा का आयोजन किया। खुला मंच चर्चा में टीएसपी, उद्योग संघों, प्रौद्योगिकी कंपनियों आदि सहित अनेक हितधारकों ने भाग लिया। महामारी के दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा का आयोजित किए जाने को भारी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

- **''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत विधि के तहत एसयूसी लागू करने की पद्धति'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 09 जुलाई, 2020 को खुला मंच चर्चा का आयोजन**

  प्राधिकरण ने ''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन के भारित औसत विधि के तहत एसयूसी लागू करने की पद्धति'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 09 जुलाई, 2020 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया। खुला मंच चर्चा में टीएसपी, उद्योग संघ आदि सहित अनेक हितधारकों ने भाग लिया। महामारी के दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा का आयोजित किए जाने को भारी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

- **''इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग सर्विसेज के विनियमन'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 27 अगस्त, 2020 को खुला मंच चर्चा का आयोजन**

  प्राधिकरण ने ''इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग सर्विसेज के विनियमन'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 27 अगस्त, 2020 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

प्रसारण क्षेत्र

- **''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 08 जनवरी, 2020 को खुला मंच चर्चा का आयोजन**

  ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 08 जनवरी, 2020 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

- **''सेट टॉप बॉक्स की अंतर्संयोजनीयता'' के संबंध में दिनांक 29 जनवरी, 2020 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया**

  ''सेट टॉप बॉक्स की अंतर्संयोजनीयता'' के संबंध में परामर्श पत्र पर दिनांक 29 जनवरी, 2020 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

- **प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए ''कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए ढ़ांचे'' विषय पर परामर्श पत्र पर दिनांक 25 जून, 2020 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया**

  प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए ''कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए ढ़ांचे'' विषय पर परामर्श पत्र पर दिनांक 25 जून, 2020 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया, जिसमें लगभग 220 भागीदारों ने भाग लिया।

VII. उपभोक्ताओं का हित

प्राधिकरण अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि के माध्यम से और देश भर में संचालित किए जा रहे सीओपी के माध्यम से भी दूरसंचार उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाता है। प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और प्राधिकरण के बीच वार्ताकार के रूप में काम करते हैं। यह वार्ताकार उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ावा देने में प्राधिकरण की सहायता करते हैं। प्राधिकरण लगातार उन विनियामक उपायों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करता है जो उसने हैंडबुक, न्यूजलैटर आदि प्रकाशित करके और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया अभियानों के माध्यम से आरंभ किए हैं।

उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सशक्तिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अनुसार पारदर्शिता तथा उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के महत्पवूर्ण अधिदेश हैं। प्राधिकरण उपभोक्ताओं तक पहुंचने के महत्व को पहचानता है ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके, जिसका उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आगे किया जाता है। इस उद्देश्य के साथ, प्राधिकरण ने भारत में दूरसंचार उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में कुछ मोबाइल ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए। इस विचार की सफलता और स्वीकृति ने प्राधिकरण को नए उपभोक्ता उन्मुखी मोबाइल ऐप और पोर्टल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष के दौरान विकसित किए गए नए तकनीकी प्लेटफार्मों की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

'चेनल सिलेक्टर ऐप'

चैनलों (जोड़ने / हटाने) के चयन में उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 25 जून 2020 को ट्राई चैनल सेलेक्टर ऐप आरंभ किया था। ट्राई चैनल सेलेक्टर ऐप के माध्यम से, उपभोक्ता अपने वर्तमान चयन को अनेक बार अपनी पसंद के अनुसार बदल और संशोधित कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर तथा एप्पल स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं।

इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने डीपीओ द्वारा की जाने वाली पेशकश को देख सकते हैं, अपने मौजूदा सब्सक्रिप्शन के ब्योरे को प्राप्त कर सकते हें, चैनलों और बुके का चयन कर सकते हैं तथा उसका इष्टतमीकरण कर सकते हैं, मौजूदा चयन में बदलाव कर सकते हैं, तथा संबंधित डीपीओ के साथ चयन को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐप एक इष्टतम कन्फिग्यूरेशन सुझाएगा अर्थात् उपभोक्ताओं के चयन के आधार पर चैनलों / बुके का संयोजन ताकि मासिक बिल में कमी की जा सके। इसके अतिरिक्त, यह भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र, भाषा, जेनरे, प्राथमिकता आदि को मद्देनजर रखते हुए चैनल / बुके के अलग – अलग संयोजनों पर सुझाव देगा। अधिक जानकारी के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं।

बीएंडसीएस समेकित पोर्टल (बीआईपीएस)–रजिस्टर ऑफ इंटरकनेक्ट (आरओआई) मॉडयूल

प्राधिकरण ने ऑनलाइन जानकारी दायर करने की सुविधा के लिए एक एकीकृत वेब आधारित पोर्टल विकसित किया। इस मॉड्यूल से टेलीविजन चैनलों के प्रसारकों और वितरकों के बीच किए जाने वाले सभी इंटरकनेक्शन समझौतों, कैरिज शुल्क समझौते, प्लेसमेंट शुल्क समझौते और अन्य संबंधित समझौतों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन दायर करने में मदद मिलेगी। इसमें प्रोफाइल को रजिस्टर करने और उसे अद्यतन करने की व्यवस्था होगी। टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक प्रसारक और वितरक (औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार के बावजूद) को पोर्टल पर पंजीकरण के बाद आरआईओ जमा करना होता है। बीआईपीएस प्रसारण क्षेत्र के सभी हितधारकों, जैसे प्रसारकों और वितरकों को इंटरकनेक्शन (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन समझौतों के रजिस्टर और ऐसे सभी अन्य मामलों से संबंधित विनियम, 2019 के अनुसार इंटरकनेक्शन और अन्य समझौतों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है।

मोबाइल नम्बर रिवोकेशन लिस्ट (एमएनआरएल) पोर्टल

एमएनआरएल पोर्टल, एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां टीएसपी स्थायी रूप से काटे गए मोबाइल नम्बरों की सूची जमा कर सकता है। हितधारक जैसे बैंक एमएनआरएल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्वयं के कार्यप्रवाह का उपयोग करके अपने डेटाबेस को साफ कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, एक बैंक सूची डाउनलोड कर सकता है, प्रत्येक नंबर की जांच कर सकता है और यदि यह उनके उपभोक्ताओं में से एक है', तो इसे फ्लैग कर सकते हैं, और उपभोक्ताओं को अपने नए नंबर को अद्यतन करने को कहे)। इस प्रकार हितधारक अपने उपभोक्ताओं के अलावा किसी और को वन – टॉइम पासवर्ड आदि नहीं भेजेंगे। इससे उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो या तो संबंधित सेवाओं का नियमित रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं, और इसलिए, अपने मोबाइल नंबर को नियमित रूप से अद्यतन नहीं करते हैं, अथवा मोबाइल नंबर को किसी अन्य व्यक्ति / संस्थान को पुन आवंटित किए जाने पर इसके पुनः उपयोग किए जाने के संभावित खतरे से अनजान हैं।

हैडर की जानकारी संबंधी पोर्टल

हेडर संबंधी जानकारी पोर्टल, उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार के प्रेषक के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि क्या कोई समान रूप से दिखाई देने वाला हेडर किसी अन्य इकाई द्वारा पंजीकृत है अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हेडर के बारे में पूछताछ कर सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी मूल संस्थाओं (व्यापारिक अथवा कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए 'अल्फान्यूमेरिक' हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं।

एसएमएस हैडर एक्सम्पशन (5 पीएस) पोर्टल

दूरसंचार वाणिज्यिक सप्रेषण उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर, 2018) के विनियम 35 के अनुसार, यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को लेनदेन एसएमएस प्रभार से 5 पैसे की छूट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। सरकारी संस्थाएं टीएसपी के साथ पंजीकृत हेडर के समक्ष नई छूट या छूट के नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

उपभोक्ता शिक्षा संबंधी साहित्य, मीडिया अभियान, संगोष्ठियों का आयोजन तथा उपभोक्ता शिकायतों का समाधान

प्राधिकरण ने डीटीएच / केबल टीवी के सब्सक्राइबरों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में इसके द्वारा विकसित ''चैनल चयनकर्ता ऐप'' के बारे में विज्ञापन जारी किए हैं। प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए हैंडबुक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

उपभोक्ता हितों तथा संरक्षण के विभिन्न विषयों पर वेबीनार / संगोष्ठियां

प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण समकालीन प्रौद्योगिकीय और उपभोक्ता से संबंधित मुद्दों पर संगोष्ठियां आयोजित करता है। महामारी के दौरान, प्राधिकरण ने आठ वेबिनार (ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से संगोष्ठी) का आयोजन किया थाः

क) दिनांक 23 जनवरी, 2020 को हैदराबाद (तेलंगाना) में ''फ्यूचर ऑफ ओटीटी (ओवर – द – टॉप) विषय पर संगोष्ठी।

ख) दिनांक 24 जनवरी 2020 को इंदौर (एमपी) में ''भारत में 5जी को सक्षमकारी बनाना'' विषय पर संगोष्ठी।

ग) दिनांक 13 मार्च 2020 को कोलकाता में ''आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का उद्भव'' विषय पर संगोष्ठी।

घ) दिनांक 24 जुलाई 2020 को जयपुर में ''5जी इन इंडिया – स्पेसिफिकेशन, यूज केस, चैलेंजिज एंड एक्शन प्लान'' विषय पर वेबिनार ।

ङ) दिनांक 21 अगस्त 2020 को हैदराबाद में ''5जी – आर्किटेक्चर, यूज केस, एंड गवर्नमेंट इनीशियेटिव'' विषय पर वेबिनार।

च) दिनांक 28 अगस्त 2020 को भोपाल में ''आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) ट्रेंड्स, सिक्योरिटी चैलेंजिज एंड साल्यूशन'' विषय पर वेबिनार।

छ) दिनांक 21 सितंबर 2020 को बंगलूरु में ''साइबर सुरक्षा'' विषय पर वेबिनार।

ज) दिनांक 26 नवंबर 2020 को जयपुर में ''साइबर सुरक्षा'' विषय पर वेबिनार।

उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, प्राधिकरण को प्राप्त कोई भी शिकायत उचित कार्रवाई के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दी जाती है। दिनांक 01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक प्राधिकरण को दूरसंचार सेवाओं से संबंधित 50192 शिकायतें और डीटीएच और केबल टीवी सेवाओं के उपभोक्ताओं से 12177 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया गया। सामान्य स्वरूप की शिकायतें अथवा उन लोगों की शिकायतें जिन्हें अंतर्निहित मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता थी उन पर आधारभूत मुद्दों की कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही की गई। उपभोक्ता संरक्षण विनियमों[1] में संशोधन करके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग के संबंध में पाए गए मुद्दों का समाधान किया गया। इसी प्रकार, जिन मुद्दों पर विचार किया गया, वे मुख्य रूप से प्रशुल्क पारदर्शिता से संबंधित थे और संबंधित टीएसपी को निदेश[2] देकर उनका समाधान किया गया था।

उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी)

उपभोक्ता की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन करता है। यह सीओपी, उपभोक्ताओं को अपने स्थानीय मुद्दों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ उठाने के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाता है। कोविड – 19 के कारण, उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों को वर्ष के दौरान, ऑनलाइन आयोजित किया गया। अब तक 43 उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए गए, जोकि वास्तविक (कोविड – 19 से पूर्व की अवधि के दौरान) तथा ऑनलाइन, दोनों पद्धतियों से आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित की गई उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों की सूची रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

उपभोक्ता समर्थक समूहों का पंजीकरण और उनका क्षमता निर्माण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी), समन्वय करते हैं और अपने क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उपभोक्ता शिक्षा को प्रसार करने में सहायता करते हैं। वे, प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम में भी भागीदारी करते हैं। यह उपभोक्ता समर्थक समूह, टीएसपी के अपीलीय प्राधिकरणों के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार, उपभोक्ता समर्थक समूह, जिनके कार्यकाल का नवीकरण किया जाना था, के निष्पादन की समीक्षा की गई थी। कुछ नए संगठनों ने प्राधिकरण के साथ पंजीकरण किए जाने के लिए आवेदन किया है, जिसमें से 13 नए सीएजी दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से पंजीकृत किए गए थे। आज तक की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के साथ 58 उपभोक्ता समर्थक समूह पंजीकृत हैं।

1 दिनांक 18 सितम्बर, 2020 का दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020

2 प्रशुल्क विज्ञापनों के संबंध में दिनांक 18.09.2020 तथा प्रशुल्क प्रकाशन के संबंध में दिनाक 18.09.2020 का निदेश

इस क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के बारे में उपभोक्ता समर्थक समूहों को अवगत कराने के लिए, भादूविप्रा उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करता है। इन कार्यशालाओं के दौरान उपभोक्ता केन्द्रित मुद्दों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ता समर्थक समूहों तथा टीएसपी के साथ सामान्य बातचीत के साथ – साथ, महत्वपूर्ण दूरसंचार के मुद्दों पर विशेषज्ञ सत्रों का आयोजन किया जाता है। ऐसी दो कार्यशालाएं, कोविड – 19 पूर्व की अवधि के दौरान दिनांक 24 जनवरी, 2020 को रामेश्वरम् (तमिलनाडु) तथा दिनांक 06 मार्च, 2020 को बीकानेर (राजस्थान) में आयोजित की गई थी। देश में मौजूदा महामारी की स्थिति के कारण, उपभोक्ता समर्थक समूहों को उनके क्षमता निर्माण के भाग के रूप में आयोजित की जाने वाली वेबीनार में भाग लेने को कहा गया है।

सेवा की गुणवत्ता

सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा की जाने वाली तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (पीएमआर) तथा 'प्वाईंट ऑफ इंटरकनेक्शन कंजेशन रिपोर्टों के माध्यम से निगरानी करता है। इन्हें, सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा की गई रिपोर्टों के माध्यम से संकलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित बातचीत सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा सर्वेक्षण को इस प्रयोजनार्थ नियुक्त स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। सेवा के बारे में उपभोक्ताओं की धारणा को बेहतर तरीके से मापने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण किए जाते हैं । सेवा की गुणवत्ता और सर्वेक्षणों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन के परिणाम हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं द्वारा गुणवत्ता – सेवा बेंचमार्क का अनुपालन करने में विफल रहने पर वित्तीय हतोत्साहन भी लगा रहा है।

टीएसपी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस तथा आदेश का ब्योरा निम्नानुसार हैं:

सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं किया जाना

वर्ष के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं करने के लिए 05 सेल्युलर सेवा प्रदाताओं, तीन मूलभूत सेवा प्रदाताओं और चार ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा अनुपालन रिपोर्टों को विलम्ब से जमा करने के कारण 01 सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान जारी किए गए उपयुक्त कारण बताओ नोटिसों के प्रत्युत्तर में सेवा की गुणवत्ता विनियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण 11 वित्तीय निरुत्साहन आदेश तथा सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुपालन रिपोर्ट को जमा करने में विलम्ब के कारण 03 वित्तीय निरुत्साहन के आदेश जारी किए गए थे, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

सेवाएं	वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि
सेल्युलर	76.50 लाख रुपये
ब्रॉडबैंड	19.30 लाख रुपये
कुल राशि	**95.80 लाख रुपये**

अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण

टीसीसीसीपीआर विनियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण प्राधिकरण ने निम्नानुसार सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया थाः

क) टीसीसीसीपीआर, विनियम, 2018 की खंड 26 का उल्लंघन करने के लिए बीएसएनएल को दिनांक 14 फरवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

ख) दिनांक 21 अगस्त, 2020 को सात सेवा प्रदाताओं यथा एयरटेल, एमटीएनएल, क्यूटीएल, आरजेआईओ, टीटीएसएल, वी – कॉन मोबाइल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड तथा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मार्च, 2020 के लिए टीसीसीसीपीआर, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

ग) टीसीसीसीपीआर, 2018 के प्रावधानों के अनुसार जून, 2020 तक पीएमआर जमा नहीं किए जाने के कारण 2 सेवा प्रदाताओं अर्थात् बीएसएनएल और आरकॉम जैसे को दिनांक 24 अगस्त, 2020 का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

घ) अप्रैल से जून 2018 के लिए टीसीसीसीपीआर, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए सात सेवा प्रदाताओं अर्थात् एयरटेल, एमटीएनएल, क्यूटीएल, आरजीओ, टीटीएसएल, वी – कॉन मोबाइल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड तथा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

ङ) उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में 3499.98 लाख रुपये की राशि के 8 आदेश जारी किए गए थे।

यूसीसी शिकायतों की निगरानी के लिए मोबाइल ऐपः

टीसीसीसीपी विनियम शिकायत आधारित विनियम हैं। इसके लिए अतिरिक्त शिकायत तंत्र की आवश्यकता थी, जिसका उपयोग उपभोक्ता आसानी से कर सके। इसके लिए, प्राधिकरण ने यूसीसी शिकायतों के आसान पंजीकरण के लिए एक उन्नत मोबाइल ऐप (डीएनडी सेवाएं) विकसित किया। इस एप के साथ उपभोक्ता शिकायत की स्थिति भी जांच सकता है।

VIII. कारण बताओ नोटिस

प्रसारण क्षेत्र

- **दिनांक 03 मार्च, 2017 के यथा संशोधित प्रशुल्क आदेश, 2017 तथा दिनांक 03 मार्च, 2017 के यथा संशोधित सेवा की गुणवत्ता के प्रावधानों का पालन न करने के लिए नौ एमएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए**

  दिनांक 03 मार्च, 2017 के यथा संशोधित प्रशुल्क आदेश, 2017 तथा दिनांक 03 मार्च, 2017 के यथा संशोधित सेवा की गुणवत्ता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण दिनांक 20 जुलाई, 2020 को नौ (9) एमएसओ को एक्ट डिजिटल होम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ई – इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड, मैसर्स इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैसर्स काल केबल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड, मैसर्स एनएक्सटी डिजिटल लिमिटेड और मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस को जारी किए गए थे।

  प्राधिकरण को विभिन्न उपभोक्ताओं से 200 चैनलों के लिए 130 रुपये और 200 से अधिक चैनलों के लिए 160 रुपये के नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) प्रभारित किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें दूसरे और अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए घोषित एनसीएफ का अधिकतम 40 प्रतिशत शुल्क शामिल है। दिनांक 12 जुलाई, 2020 को उक्त सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट की जांच करने पर यह पाया गया कि उन्होंने मौजूदा विनियामक प्रावधानों के अनुसार संशोधित नेटवर्क क्षमता शुल्क एनसीएफ घोषित नहीं किया था और इस प्रकार प्रशुल्क आदेश, 2017 और सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे हैं।

  इसलिए, दिनांक 20 जुलाई, 2020 को, इन 9 एमएसओ को दिनांक 03 मार्च, 2017 के यथा संशोधित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणाली) प्रशुल्क आदेश और दिनांक 03 मार्च, 2017 के यथा संशोधित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा गुणवत्ता और सेवा और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे।

- **दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा गुणवत्ता और सेवा और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए चार एमएसओ अर्थात् मैसर्स फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स काल केबल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स तमिलनाडु अरसू केबल टीवी कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स वी के डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 26 नवम्बर, 2020 का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था**

  दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा गुणवत्ता और सेवा और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 के प्रावधानों का

अनुपालन न करने के लिए चार एमएसओ अर्थात् मैसर्स फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स काल केबल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स तमिलनाडु अरसू केबल टीवी कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स वी. के. डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 26 नवम्बर, 2020 का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था।

- **निर्बाध सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के उपाय**

भारत सरकार ने दिनांक 25 मार्च 2020 से 21 दिनों की शुरुआती अवधि के लिए देश में लॉकडाउन निर्धारित किया था। इस चिंता को पहचानते हुए कि लॉकडाउन उपभोक्ता सेवा केंद्रों / बिक्री स्थलों के बिंदु के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और जो सब्सक्राइबर अपने प्रीपेड बैलेंस का टॉप अप करना चाहते हैं या ऑफलाइन चैनलों का उपयोग करके प्रीपेड प्रशुल्क में अपनी सब्सक्रिप्शन को आगे बढाना चाहते हैं, उन्हें कठिनाइयों और / अथवा सेवाओं के व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, प्राधिकरण ने दिनांक 29 मार्च, 2020 के पत्र के माध्यम से टीएसपी को सभी प्रीपेड उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने सहित उपयुक्त समझे जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया। टीएसपी ने निम्नवत उपायों का पालन करते हुए उसका प्रत्युत्तर दिया, जिनमें अन्य बातों के साथ – साथ वैधता अवधि का विस्तार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक इनकमिंग कॉल प्राप्त करने में सक्षम हों, टॉक – टाइम या वॉयस मिनट क्रेडिट कर सकें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता 'ऑउटगोइंग' कॉल करने में सक्षम हैं ।

- **सेवा प्रदाताओं की अनुपालन संबंधी चिंताओं का समाधान करने हेतु उपाय**

सेवा प्रदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, सीओएआई के अनुरोध पर प्राधिकरण ने दिनांक 31 मार्च, 2020 तक जमा की जाने वाली सभी मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टों के अनुपालन की तिथि को संबंधित नियत तिथियों से छह सप्ताह तक बढ़ा दिया। बाद में, प्राधिकरण ने दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक जमा की जाने सभी रिपोर्टों के संबंध में अनुपालन की तिथि को भी दो सप्ताह बढ़ा दिया।

- **खुला मंच चर्चा के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग को आरंभ किया जाना**

प्राधिकरण अपनी विनियामक प्रक्रिया में पारदर्शिता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोविड – 19 के कारण विनियामक संबंधी पहल पीछे न छूट जाए, प्राधिकरण ने खुला मंच चर्चा को ऑनलाइन पद्धति से आयोजित करना शुरू कर दिया, और इस तरह का पहली खुला मंच चर्चा दिनांक 06 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में ''प्ररूप दूरसंचार प्रशुल्क (65वां संशोधन) आदेश 2020'' पर आयोजित की गई थी।

IX. अन्य मुद्दे

दूरसंचार क्षेत्र

- **''भारत में स्मार्ट सिटीः आईसीटी अवसंरचना के लिए फ्रेमवर्क'' के संबंध में दिनांक 22 सितम्बर, 2020 का श्वेत पत्र जारी किया गया**

प्राधिकरण ने ''भारत में स्मार्ट सिटीः आईसीटी अवसंरचना के लिए फ्रेमवर्क'' के संबंध में दिनांक 22 सितम्बर, 2020 का श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र में स्मार्ट सिटी में उपयोग किए जाने वाले आईसीटी अवसंरचना के संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई। श्वेत पत्र में निम्नवत शीर्षकों को कवर किया गया हैः

(क) स्मार्ट – सिटी पारिस्थितिकीय तंत्र के तत्व

(ख) स्मार्ट – सिटी के विभिन्न तत्वों के लिए आईसीटी संबंधी अपेक्षाएं

(ग) अंतर और चुनौतियां

(घ) सिस्टम को अंतर्प्रचालनीय बनाने के लिए मानकीकृत आईसीटी तकनीक

(ई) स्मार्ट सिटी के लिए आईसीटी अवसंरचना के लिए सामान्य ढांचा

(च) मानकीकृत, अंतर्प्रचालनीय, लचीला और सुरक्षित आईसीटी बुनियादी ढांचे के विकास और तैनाती में विभिन्न हितधारकों के एकीकृत प्रयास।

श्वेत पत्र में स्मार्ट सिटी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, प्रमुख स्मार्ट समाधानों पर चर्चा की गई है, स्मार्ट शहरों के लिए विशिष्ट वैश्विक मानकीकरण और कनेक्टिविटी से संबंधित पहलुओं की आवश्यकता पर विचार – विमर्श किया गया है और भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता के लिए आईसीटी अवसंरचना के ढांचे की पहचान करने का प्रयास करता है ।

आगे की राह के रूप में, श्वेत पत्र में स्मार्ट शहरों के लिए आईसीटी अवसंरचना में मानकीकरण, अंतर्प्रचालनीयता, मापनीयता, धारणीयता, लचीलापन प्राप्त करने पर जोर दिया गया है जिसे सुसंगत मानकों, अनुपालन संबंधी परीक्षण, क्लॉउड कार्यनीति, राष्ट्रीय न्यास केंद्र (उपकरण परीक्षण के लिए), साइबर सुरक्षा कार्यनीति और डाटा विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ।

श्वेत पत्र, उद्योग और तकनीकी तंत्रियों को अपनी विचार प्रक्रिया के माध्यम से नए विचार लाने और भारत में स्मार्ट शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए प्रमुख सक्षमकारी तत्वों की पहचान के माध्यम से परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

- **प्राधिकरण के सेवा की गुणवत्ता संबंधी दिनांक 22 सितंबर, 2020 का मोनोग्राफ – बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता नेटवर्क के लिए खोज ''गुणवत्ता में सुधार करने के तरीके पर पुनर्विचार''**

  प्राधिकरण ने दिनांक 22 सितंबर, 2020 का मोनोग्राफ – बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता नेटवर्क के लिए खोज ''गुणवत्ता में सुधार करने के तरीके पर पुनर्विचार'' जारी किया। मोनोग्राफ में निम्नलिखित पहलुओं पर सिफारिशों को शामिल किया गया है:

  क) सहयोगी साझेदारी के साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाला नेटवर्क तैयार करना।

  ख) नेटवर्क डिजाइन करते समय, अंतिम उपयोगकर्ता के साथ मिलकर काम करना।

  ग) अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क का आश्वासन देने वाली प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विकास करना ।

  घ) मूलकर्मियों और एजेंटों के प्रोत्साहनों को इस तरीके से संरेखित करना कि संघर्ष न हो।

  प्राधिकरण द्वारा कोविड – 19 से उभरने वाली चिंताओं का समाधान करने के लिए किए गए उपाय।

X. अन्य मुद्दे

प्रसारण क्षेत्र

- **दिनांक 07 फरवरी, 2020 के आशोधित एपीआई विनिर्दिष्टताओं के संबंध में डीपीओ को जारी किया गया प्राधिकरण का पत्र**

  प्राधिकरण ने दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जारी किए। उपयुक्त विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राधिकरण एपीआई विनिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसकी सूचना डीपीओ को अलग से दी जाएगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने डीपीओ को भेजे गए दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 के पत्र के माध्यम से एपीआई विशिष्ट दस्तावेज संलग्न किए थे और डीपीओ को एपीआई विशिष्टता दस्तावेज में परिकल्पित 'प्रोडक्शन एपीआई' के यूआरएल को साझा करने का निर्देश दिया था। इस पत्र के माध्यम से डीपीओ को बताया गया कि कुछ डीपीओ के साथ प्रायोगिक आधार पर प्राधिकरण ने इन एपीआई विनिर्देशों का परीक्षण किया है और तदनुसार 22 अक्तूबर, 2019 को भेजे गए पूर्व एपीआई विशिष्ट दस्तावेज में मामूली संशोधन किए गए थे। संशोधित एपीआई विनिर्देश दस्तावेज को उक्त पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया था और डीपीओ को संशोधित एपीआई विनिर्दिष्ट दस्तावेज के अनुसार 'प्रोडक्शन एपीआई' के यूआरएल साझा करने का निर्देश दिया गया था।

- **दिनांक 01 जनवरी, 2020 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 के कार्यान्वयन के लिए सभी पे प्रसारकों तथा डीपीओ को दिनांक 13 फरवरी, 2020 का पत्र जारी किया गया**

  प्राधिकरण ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं प्रशुल्क आदेश, 2017 अधिसूचित किया। प्रशुल्क आदेश, 2017 को दिनांक 01 जनवरी, 2020 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 के माध्यम से संशोधित और अधिसूचित किया गया था। प्रशुल्क संशोधन आदेश, 2020 के उपबंध दिनांक 01 मार्च, 2020 से प्रभावी होने थे।

  इसलिए, दिनांक 13 फरवरी, 2020 को सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को एक पत्र भेजा गया जिसमें उपभोक्ताओं के पास चैनलों की अपनी पसंद करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया था, ताकि दिनांक 01 मार्च, 2020 को निर्बाध रूप से परिवर्तन हो सके।

- **डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षको को पेनलबद्ध करने के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2020 को जारी की गई रूचि की अभिव्यक्ति तथा इसके बाद दिनांक 06 मार्च, 2020 को जारी किया गया इसका शुद्धि पत्र**

  डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षको को पेनलबद्ध करने के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2020 को जारी की गई रूचि की अभिव्यक्ति तथा इसके बाद दिनांक 06 मार्च, 2020 को जारी किया गया इसका शुद्धि पत्र।

- **डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षको को पेनलबद्ध करने के लिए दिनांक 01 जून, 2020 को जारी की गई रूचि की अभिव्यक्ति**

  डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने क लिए लेखापरीक्षको को पेनलबद्ध करने के लिए दिनांक 01 जून, 2020 को जारी की गई रूचि की अभिव्यक्ति।

- **डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए पैनलबद्ध लेखापरीक्षा की सूची**

  डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों के पैनल की सूची जारी की जाती है और समय – समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। 42 लेखापरीक्षा फर्मों की नवीनतम सूची (दिनांक 17 नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार) प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक 18 नवंबर, 2020 को अपलोड की गई है।

- **दिनांक 04 मई, 2020 तथा 02 नवम्बर, 2020 को जारी किए गए यथा संशोधित अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के विनियम 15 के अनुपालन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा डीपीओ को भेजा गया पत्र**

  प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 अधिसूचित किया था (जिसे इसके पश्चात् अंतर्संयोजन विनियम, 2017 कहा जाएगा) तथा 30 अक्तूबर, 2019 को इसका प्रथम संशोधन जारी किया था तथा इसके उत्तरवर्ती द्वितीय संशोधन को दिनांक 01 जनवरी, 2020 को जारी किया था। अंतर्संयोजन विनियम के विनियम 15 के प्रावधान यह अधिदेशित करते हैं कि टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक एक कैलेंडर वर्ष में एक बार अपनी प्रणाली की लेखापरीक्षक मैसर्स बीईसीआईएल या प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध किसी लेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सटीक है और प्रत्येक प्रसारक को इस आशय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की जाएगी जिसके साथ उसने अंतर्संयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

  प्राधिकरण के दिनांक 4 मई, 2020 और 02 नवंबर, 2020 के पत्रों के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों (डीटीएच ऑपरेटरों, एमएसओ, एचआईटीएस ऑपरेटरों और आईपीटीवी ऑपरेटरों) को परामर्श दिया गया था कि वे समय – समय पर यथा संशोधित अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के विनियम 15 का अनुपालन करें।

- **दिनांक 02 जनवरी, 2020 तथा दिनांक 28 मई, 2020 को जारी किया गया दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) अंतर्संयोजन करारों का रजिस्टर तथा ऐसे अन्य मामलों संबंधी विनियम, 2019 का अनुपालन करने के संबंध में टेलीविजन चैनलों के प्रसारकों तथा डिस्ट्रीब्यूटरों को प्राधिकरण का पत्र**

  प्राधिकरण ने दिनांक 04 सितम्बर, 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) अंतर्संयोजन करारों का रजिस्टर तथा ऐसे अन्य मामलों संबंधी विनियम, 2019 (जिसे इसके पश्चात् रजिस्टर विनियम, 2019 कहा जाएगा) को अधिसूचित किया था।

प्राधिकरण के दिनांक 02 जनवरी, 2020 और 28 मई, 2020 के पत्रों के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों से अनुरोध किया गया था कि वे दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) अंतर्संयोजन करारों का रजिस्टर तथा ऐसे अन्य मामलों संबंधी विनियम, 2019 के उपबंधों का अनुपालन करें और उन्हें इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विकसित प्रसारण और केबल सेवाएं एकीकृत (बीआईपीएस) पोर्टल पर रजिस्टर विनियमन, 2019 के अनुसार सभी दस्तावेज / रिपोर्ट प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया।

- **प्राधिकरण द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक विशिष्ट चैनल नम्बर प्रदान करने तथा अंतर्संयोजन करार में यथा घोषित टेलीविजन चैनलों के जेनरे को दर्शाने के संबंध में अंतर्संयोजन करार में प्रसारक द्वारा यथा घोषित, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017**

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 के उपबंधों का अनुपालन करने के संबंध में सभी एमएसओ को जारी किए गए दिनांक 17 सितम्बर, 2020, 09 अक्तूबर, 2020 तथा 01 दिसम्बर, 2020 का पत्र प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 अधिसूचित किया था (जिसे इसके पश्चात् अंतर्संयोजन विनियम, 2017 कहा जाएगा) तथा दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 को इसका प्रथम संशोधन जारी किया था तथा इसके उत्तरवर्ती द्वितीय संशोधन को दिनांक 01 जनवरी, 2020 को जारी किया था।

प्राधिकरण ने दिनांक 17 सितम्बर, 2020, 09 अक्तूबर, 2020 तथा 01 दिसम्बर, 2020 के पत्र के माध्यम से सभी एमएसओ को अंतर्संयोजन करार, 2017 के विनियम 18 के उपबंधों तथा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक विशिष्ट चैनल नम्बर प्रदान करने तथा अंतर्संयोजन करार में यथा घोषित टेलीविजन चैनलों के जेनरे को दर्शाने के संबंध में अंतर्संयोजन करार में प्रसारक द्वारा यथा घोषित विनियम 18 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया था।

XI. अन्य क्रियाकलाप

➢ स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) वर्ष 2019 – 20 के तहत क्रियाकलाप

नई दिल्ली के गांधी मार्केट में दिनांक 15 जनवरी, 2020 को एक समुदाय आधारित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इस जागरूकता शिविर में नुक्कड़ नाटक, स्वच्छ भारत अभियान पर प्रश्नोत्तरी और स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। दिनांक 27 फरवरी, 2020 को स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) 2019 – 20 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता और संबंधित मुद्दों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

➢ दिनांक 30 जनवरी, 2020 को शहीदी दिवस मनाया जाना

दिनांक 30 जनवरी, 2020 को भादूविप्रा के कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे स्वतंत्रता के संग्राम में अपने जीवन की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया।

➢ फेडरल कम्यूनीकेशन कमीशन (एफसीसी), अमेरिका के अध्यक्ष के साथ प्राधिकरण की दिनांक 24 फरवरी, 2020 को द्विपक्षीय बैठक हुई

अमेरिका के फेडरल कम्यूनीकेशन कमीशन (एफसीसी) के अध्यक्ष श्री अजित पाई ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का दौरा किया और प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दिनांक 24 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली, भारत में भादूविप्रा के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

भादूविप्रा ने दिनांक 26 फरवरी, 2020 को एफसीसी के अध्यक्ष श्री अजित पाई का स्वागत किया

➢ दिनांक 08 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

प्रत्येक वर्ष, प्राधिकरण दिनांक 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। भादूविप्रा कार्यालय की महिला कर्मियों के सम्मान में दिनांक 06 मार्च, 2020 (दिनांक 08 मार्च, 2020 को रविवार था) को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

भादूविप्रा में दिनांक 08 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया

➢ **दिनांक 21 जून, 2020 को योग दिवस का आयोजन किया गया**

भादूविप्रा में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मनाया गया। भादूविप्रा के कर्मचारियों ने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर सामान्य योग नयाचार (सीईपी) के अनुसार योग – आसनों का अभ्यास किया था और भागीदारी के प्रतीक के रूप में अपनी तस्वीरें साझा की। कर्मचारियों को भी योग को अपनी जीवनशैली में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

➢ **दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 को भादूविप्रा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. पी. डी. वाघेला ने कार्यभार ग्रहण किया**

डॉ. पी. डी. वाघेला ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से भादूविप्रा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

भादूविप्रा अध्यक्ष, डॉ. पी. डी. वाघेला

➢ **भादूविप्रा तथा एनटीआरए (नेशनल टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी) मिस्र की दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई**

भादूविप्रा के अध्यक्ष तथा एनटीआरए (नेशनल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी) मिस्र के 'एग्ज्यूक्यूटिव प्रेजीडेंट' की दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई।

भादूविप्रा तथा एनटीआरए, मिस्र के बीच दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई

➢ **स्वच्छता पखवाड़ा – 2020 मनाया जाना (दिनांक 16 से 30 नवम्बर, 2020 तक)**

वर्ष 2020 में भादूविप्रा में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था। अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार भादूविप्रा के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के सभी प्रभागों ने संपूर्ण कार्यालय परिसर में कचरे, पुरानी फाइलों और अन्य उपयोग की गई सामग्रियों आदि को हटाकर सफाई अभियान चलाया। कार्यालय परिसर की प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने के लिए 1100 लीटर क्षमता के औद्योगिक कूड़ेदान और दो दोहरे तरफा 'हाईराइज स्पंज मॉप्स्' खरीदे गए। भादूविप्रा कार्यालय में स्वच्छता पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

➢ **दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को संविधान दिवस का आयोजन**

भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की स्मृति में दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को भादूविप्रा में संविधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर वेबलिंक के माध्यम से भादूविप्रा के कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया।

दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को संविधान दिवस के अवसर पर भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया

➢ दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को आयोजित सशस्त्र सेना झंडा दिवस

भादूविप्रा में दिनांक 07 दिसंबर, 2020 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने के लिए भादूविप्रा के सभी कर्मचारियों द्वारा नवंबर, 2020 में 200 रुपये का अंशदान दिया गया था और 40,000 रुपये की राशि एएफएफडी को भेजी गई थी।

➢ भादूविप्रा और बीईआरईसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु समारोह

दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को भादूविप्रा और यूरोपियन रेगुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस (बीईआरईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हस्ताक्षर किए जाने हेतु समारोह का आयोजन किया गया था।

भारतीय दूरसंचार विनियाम प्राधिकरण और बीईआरईसी के बीच दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित हस्ताक्षर समारोह

ई – कार्यालय

देश में कोविड – 19 की मौजूदा स्थिति के चलते वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सभी अधिकारी / कर्मचारी एनआईसी ई – मेल के माध्यम से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। ई – मेल के माध्यम से काम करना अपनी चुनौतियां हैं और लंबे समय तक महामारी की स्थिति के साथ प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा है। सभी शासकीय कार्य को पेपर – लैस पद्धति में किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ई – फाइल के जरिए फाइल से जुड़े सरकारी कार्यों के स्वचालन के लिए एनआईसी ई – ऑफिस को अपनाया है। ई – ऑफिस का क्रियान्वयन भादूविप्रा, मुख्यालय और 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर प्रकाशित रिपोर्टें

मासिक आधार पर प्रकाशित की गई रिपोर्टें

i. प्राधिकरण क्रमशः वॉयरलाइन, वॉयरलेस और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए प्राप्त डाटा / जानकारी के आधार पर दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डाटा पर मासिक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करता है।

तिमाही आधार पर प्रकाशित की गई रिपोर्टें

ii. भारतीय दूरसंचार विनियाम प्राधिकरण, पीएमआर/डाटा/ब्योरे के आधार पर 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक रिपोर्ट' जारी करता है।

वार्षिक आधार पर प्रकाशित की गई रिपोर्टें

iii. प्राधिकरण कैलेंडर वर्ष के आधार पर 'वार्षिक निष्पादन सूचक–भारतीय दूरसंचार क्षेत्र' नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशन अपनी–अपनी गतिविधियों से संबंधित मामलों के बारे में प्राधिकरण में रिपोर्ट / सूचना पत्रों से डाटा / सूचना प्राप्त करता है ।

इन रिपोर्टों में भारत में दूरसंचार और प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए प्रमुख मापदंडों और विकास के रुझान दर्शाए जाते हैं। सभी दूरसंचार और प्रसारण सेवा प्रदाताओं ने प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों / निदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण को अपना डाटा / विवरण प्रस्तुत किया । सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों / विवरणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। ये रिपोर्टें संबंधित हितधारकों के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये रिपोर्टें बाजार के वर्तमान परिदृश्य / प्रवृत्ति को इंगित करती हैं और उन्हें उपयुक्त निर्णय लेने में मदद करती हैं।

XII. राजभाषा

➢ दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित किए गए क्रियाकलापों का ब्योरा

कार्यालय के दैनंदिन कार्य में हिंदी के उपयोग में निरंतर वृद्धि करने के उद्देश्य से पिछले ग्यारह वर्षों से भादूविप्रा के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए ''वार्षिक प्रोत्साहन योजना'' नामक एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, योजनागत अवधि में हिंदी में कार्यालय का कार्य करने के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय तथा प्रभावी सिद्ध हुई है तथा वे इस प्रोत्साहन योजना में भागीदारी करने के लिए अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

इसके पीछे मूल विचार, अधिकारियों / कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी से परिचित करवाना तथा अधिकाधिक कार्य हिंदी में करना तथा टिप्पण और प्रारूपण के कार्य को सरल बनाना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की आधिकारिक भाषा नीति के बारे में अवगत करवाने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, भादूविप्रा में दिनांक 09 जनवरी, 2020, 09 सितम्बर, 2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020 को हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त अनुदेशों के अनुपालन में, भादूविप्रा में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक ''हिंदी पखवाड़े'' का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान पांच हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी कहानी लेखन / कहानी विस्तार प्रतियोगिता, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी काव्य वाचन प्रतियोगिता तथा ड्राइवरों तथा समूह – घ के कर्मचारियों के लिए हिंदी कहानी लेखन / कहानी विस्तार प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया।

अनुलग्नक

दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक आयोजित उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों की सूची

क्रम संख्या	सीओपी के आयोजन का स्थान	तिथि
1	खजुराहो (छतरपुर)	08 जनवरी, 2020
2	अंबाला (हरियाणा)	09 जनवरी, 2020
3	झुन्झनू (राजस्थान)	23 जनवरी, 2020
4	बिहार, नालंदा	23 जनवरी, 2020
5	नोएडा (उत्तर प्रदेश)	31 जनवरी, 2020
6	दुमका (झारखंड)	06 जनवरी,2020
7	महासमुंद (छत्तीसगढ)	13 फरवरी, 2020
8	कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	13 फरवरी, 2020
9	पलोंचा (तेलंगाना)	14 फरवरी, 2020
10	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	19 फरवरी, 2020
11	बिष्णुपुर, जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल)	20 फरवरी, 2020
12	राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश)	20 फरवरी, 2020
13	फरीदाबाद (हरियाणा)	24 फरवरी, 2020
14	कपूरथला (पंजाब)	26 फरवरी, 2020
15	कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	27 फरवरी, 2020
16	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	04 मार्च, 2020
17	कन्नूर (केरल)	05 मार्च, 2020
18	महबूबनगर (तेलंगाना)	12 मार्च, 2020
19	छत्तीसगढ	19 जून, 2020
20	जयपुर (राजस्थान)	26 जून, 2020
21	आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	26 जून, 2020
22	आंध्र प्रदेश	29 जून, 2020
23	उत्तर प्रदेश	06 अगस्त, 2020
24	गुजरात	07 अगस्त, 2020
25	पश्चिम बंगाल	19 अगस्त, 2020
26	झारखंड	09 सितम्बर, 2020
27	उत्तराखंड	11 सितम्बर, 2020
28	हैदराबाद	16 सितम्बर, 2020
29	हरियाणा	18 सितम्बर, 2020
30	असम	28 सितम्बर, 2020
31	महाराष्ट्र	29 अक्तूबर, 2020
32	मध्य प्रदेश	29 अक्तूबर, 2020
33	उत्तर पूर्व	05 नवम्बर, 2020
34	पंजाब	06 नवम्बर, 2020

35	तमिलनाडु	06 नवम्बर, 2020
36	कर्नाटक	20 नवम्बर, 2020
37	कर्नाटक	25 नवम्बर, 2020
38	छत्तीसगढ	27 नवम्बर, 2020
39	कर्नाटक	04 दिसम्बर, 2020
40	केरल	07 दिसम्बर, 2020
41	बिहार	08 दिसम्बर, 2020
42	उत्तर प्रदेश	17 दिसम्बर, 2020
43	राजस्थान	18 दिसम्बर, 2020

संक्षेपाक्षरों की सूची

क्रम संख्या	संक्षेपाक्षर	विवरण
1	एएएआई	एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया
2	एजीआर	समायोजित सकल राजस्व
3	एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
4	बीएआरसी	ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल
5	बीईआरईसी	बॉडी ऑफ यूरोपीयन रग्यूलेटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनीकेशन्स्
6	बीआईपीएस	प्रसारण और केबल सेवाएं एकीकृत पोर्टल
7	बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
8	बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
9	सीएजी	उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह
10	सीएएस	कंडीशनल एक्सेस सिस्टम
11	सीसीएसपी	संपर्क केंद्र सेवा प्रदाता
12	सीएमटीएस	सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं
13	सीओएआई	सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
14	सीओपी	उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम
16	सीपी	परामर्श पत्र
17	सीएसपी	क्लॉउड सेवा प्रदाता
18	सीयूजी	सीमित उपयोगकर्ता समूह
19	सीवाईपी	सामान्य योग नयाचार
20	डीएएस	डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली
21	डीजीटी	दूरसंचार महानिदेशक
22	डीएलटी	संवितरित लेजर प्रौद्योगिकी
23	डीएनडी	परेशान न करें
24	डीओटी	दूरसंचार विभाग
25	डीपीओ	संवितरण प्लेटफार्म ऑपरेटर
26	डीआरपी	वितरक खुदरा मूल्य
27	डीटीएच	डायरेक्ट टू होम
28	ईपीजी	इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गॉइड
29	एफएक्यू	बार – बार पूछे जाने वाले प्रश्न
30	एफबीजी	वित्तीय बैंक गारंटी
31	एचसीसीएसपी	होस्टेड कान्टेक्ट सेंटर सर्विस प्रोवाइडर
32	एचआईटीएस	हेडएंड.इन – द – स्काई
33	एचक्यू	मुख्यालय
34	आईएएएस	एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा
35	आईएएस	इंटरनेट पहुंच सेवा
36	आईबीएफ	इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन
37	आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

38	आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
39	आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
40	आईएलडीओ	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर
41	आईएमआर	इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग
42	आईपी	अवसंरचना प्रदाता
43	आईपी – 1	इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी – आइ
44	आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
45	आईएसए	इंडियन सोसायटी ऑफ एडवर्टाजर्स
46	आईटीसी	अंतर्राष्ट्रीय कॉल समाप्ति शुल्क
47	एमएंडए	विलय और अधिग्रहण
48	एम–टू–एम	मशीन से मशीन
49	मैक आईडी	मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस आईडेंटिफिकेशन्स्
50	एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
51	एमआईबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
52	एमएनपी	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
53	एमएनआरएल	मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची
54	समझौता ज्ञापन	समझौता ज्ञापन
55	एमएसबी	बहु हितधारक निकाय
56	एमएसओ	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स
57	एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
58	एनसीएफ	नेटवर्क क्षमता शुल्क
59	एनडीसीपी–18	राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018
60	एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
61	एनएलडी	राष्ट्रीय लंबी दूरी
62	एनपीडी	गैर – भुगतान की स्थिति में कनेक्शन काटना
63	एनटीआरए	राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
64	ओएचडी	खुला मंच चर्चा
65	ओएसपी	अन्य सेवा प्रदाता
66	ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
67	ओटीटी	ओवर दी टॉप
68	पीएएएस	एक सेवा के रूप में मंच
69	पीएबीएक्स	निजी स्वचालित शाखा विनिमय
70	पीई	प्रधान संस्थाएं
71	पीएमआर	प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट
72	पीओआई	अंतर्संयोजन बिंदु
73	पीएसटीएन	सार्वजनिक रूप से स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क
74	क्यूओएस	सेवा की गुणवत्ता
75	आरआईओ	संदर्भ इंटरकनेक्ट ऑफर

76	आरओआई	इंटरकनेक्ट का रजिस्टर
77	आरपी	आरक्षित मूल्य
78	आरपीडी	संसाधन प्रोफ़ाइल निर्देशिका
79	एससीएन	कारण बताओ नोटिस
80	एसडी	मानक परिभाषा
81	एसडीसीए	शॉर्ट – डिस्टेंस चार्जिंग एरिया
82	एसडीसीसी	शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर
83	एसएमएस	लघु संदेश सेवा
84	एसटीबी	सेट टॉप बॉक्स
85	एसयूसी	स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क
86	टीएमपीएस	यातायात प्रबंधन पद्धतियां
87	टीआरपी	टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट
88	टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
89	यूएएसएल	एकीकृत पहुंच सेवा लाइसेंस
90	यूसीसी	अवांछित वाणिज्यिक संचार
91	यूएल	एकीकृत लाइसेंस
92	यूएनओ	संयुक्त राष्ट्र संगठन
93	यूपीसी	अद्वितीय पोर्टिंग कोड
94	यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
95	यूआरएल	यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर
96	यूएसबी	यूनिवर्सल सीरियल बस
97	वीएनओ	वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स
98	वीसैट	वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल
99	डब्ल्यूएएनआई	वाई – फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस
100	वाई – फाई	वायरलेस फिडेलिटी

भादूविप्रा
TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरदर्शन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली-**110002**
दूरभाष : **+91-11-23664147**
फैक्स नम्बर : **+91-11-23211046**
वेबसाइट : **http://www.trai.gov.in**